कृषि उपज समिति, काँगड़ा जिला काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.24

भाग-एक

1. **प्रस्तावना:-**

(क) कृषि उपज समिति, काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1-04-22 से 31-03-24 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन विद्ययेक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज समिति काँगड़ा में सचिव एवं आहरण व संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :-

क्रम० सं	सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार भारद्वाज	01.04.2022 से 21.06.2022
2	श्री दीक्षित	22.06.2022 से 01.03.2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹ लाखों में)
1.	10	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	209.10
2.	11(i)	विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं से किराये की वसूली न करना	51.07
3.	14	मण्डी शुल्क की नियमानुसार समय पर वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को हो रही वितीय हानि	**4.59**
4.	27	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यो का निष्पादन करना	**51.29**

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज समिति, काँगड़ा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण वर्तमान **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या- 231 दिनांक 30-12-2024 जारी की गई परन्तु संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व संस्थान की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: कृषि उपज समिति से पुन: अनुरोध किया जाता है कि शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज समिति काँगड़ा के अवधि 1-04-2022 से 31-03-24 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरिक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्रीमती विराज, उप नियंत्रक व श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-12-2024 से 07-02-2025 तक कृषि उपज समिति काँगड़ा स्थित कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित मास
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	03/2024	03/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव कृषि उपज समिति काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित माह तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

कृषि उपज विपणन समिति काँगड़ा के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹366212**/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा

करने हेतु, अधियाचना संख्या 275 दिनांक 06.02.2025 द्वारा वर्तमान सचिव से अनुरोध किया गया। वर्तमान सचिव द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि को चैक संख्या: 33122288 दिनांक 21-02-2025 द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -09 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 तुलन पत्र (Balance sheet) प्रस्तुत न करने बारे :-

कृषि उपज समिति काँगड़ा द्वारा अवधि 04/22 से 03/23 व 04/23 से 03/24 तक की Balance sheet अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260 दिनांक 27-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को अवगत करवाया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया | जिसके अभाव में कृषि उपज समिति की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता की पुष्टि एवं लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका। अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में तुलन पत्र यदि तैयार नहीं किये गए है तो नियमानुसार तैयार कर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाएँ, ताकि लेखों की सही स्थिति परिलक्षित हो।

5 वित्तीय स्थिति:-

कृषि उपज समिति काँगड़ा की अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –ख-1** में दिया गया है।

क्रम सं	विवरण	2022-23	2023-24
1.	प्रारम्भिक शेष	257665976.77	288549333.56
2.	प्राप्तियां/ आय	48717811.82	58281683.13
3.	अनुदान	15000000.00	0
4.	ब्याज	13183329.92	15215089.49
5.	कुल जोड़	334567118.51	362046106.18
6.	भुगतान/व्यय	46017784.95	50187670.4
7.	अन्त शेष	288549333.56	311858435.74

31-03-24 को बैंक पास बुक व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि के अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(परिशिष्ट-ख-2)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता न०	राशि (₹)
1.	UBI Kangra	3919020100005999	3564344.35
2.	HGB Varanda (Jassur)	87810100034055	12759448.54

3.	UCO Bank Kangra	10230110018588	948067.75
4.	ICICI Bank Palampur	93601000530	7327020.97
5.	IDBI Bank Kangra	59104000015084	16627
6.	ICICI Jassur	374401000112	5987109.58
7.	HDFC Kangra	50100174100894	2564892.91
8.	IndusInd Bank Kangra	100099811540	125685.84
9.	HGB Kangra	88070100000077	20611.63
10.	Axis Bank Palampur	921010036393885	39877.83
11.	ICICI Bank Kangra	140601000934	3489732
12.	Yes Bank Kangra	31594600000692	76675.62
13.	Bank of Broda Kangra	54160100002795	12616290.53
14.	सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि		266693916.4
15.	हस्तगत राशि		3249169
16.	कुल योग		319479469.95/-

अंतर 319479469.95 - 311858435.74 = **7621034.21**

5.1 बैंक समाधान विवरणी :-(परिशिष्ट-ख-3)

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31.03.24				
PARTICULAR				**AMOUNT**
Balance as per cash book on 31.03.2024				₹31,18,58,435.74
ADD:- Income directly received in bank but not entered in Cash book till 31.03.2024				
Date	**Name of Bank**	**Account No.**	**Amount**	
04.09.2019	UBI Kangra	391902010005999	8304	
20.03.2020	HDFC Kangra	50100174100894	3010	
02.06.2020	ICICI Palampur	93601000530	11496	
22.12.2020	UBI Kangra	391902010005999	58975	
17.06.2021	UBI Kangra	391902010005999	41028	
10.08.2021	UBI Kangra	391902010005999	16865	
04.02.2022	UBI Kangra	391902010005999	500	
25.02.2022	UBI Kangra	391902010005999	12594	
08.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	2180	
14.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	3516	
14.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	17583	

30.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	13422	
29.04.2022	UBI Kangra	391902010005999	4996	
30.05.2022	UBI Kangra	391902010005999	2585	
07.07.2022 07.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	2254	
	UBI Kangra	391902010005999	2863	
07.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	1920	
21.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	2622	
04.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	30000	
25.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	10776	
02.08.2022	UBI Kangra	391902010005999	4520	
06.09.2022	UBI Kangra	391902010005999	3286	
30.09.2022	UBI Kangra	391902010005999	2906	
06.09.2022	ICICI Palampur	93601000530	2872	
04.12.2022	UBI Kangra	391902010005999	3237	
16.12.2022	UBI Kangra	391902010005999	2564	
17.01.2023	UBI Kangra	391902010005999	2447	
15.02.2023	UBI Kangra	391902010005999	2589	
13.03.2023	UBI Kangra	391902010005999	2499	
29.03.2023	UBI Kangra	391902010005999	6139	
31.03.2023	Yes Bank Kangra	31594600000692	80058	
19.10.2022	UBI Kangra	391902010005999	3002	
06.04.2023	UBI Kangra	391902010005999	43566	
27.04.2023	UBI Kangra	391902010005999	2869	
12.05.2023	ICICI bank Jassur	374401000112	8000	
16.06.2023	HDFC Bank Kangra	50100174100894	402876	
01.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	3307	
20.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	3287	
08.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	23208	
15.07.2023	UBI Kangra	391902010005999	3853	
01.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
21.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	449550	
17.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	10848	
31.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	4286	
22.09.2023	UBI Kangra	391902010005999	3333	

05.09.2023	HGB Kangra	88070100000077	8840	
01.09.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
03.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
13.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	274095	
19.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	4043	
01.11.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
15.11.2023	UBI Kangra	391902010005999	10776	
01.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
06.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	4812	
29.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	4217	
01.01.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	
23.01.2024	UBI Kangra	391902010005999	3951	
01.02.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	
28.02.2024	UBI Kangra	391902010005999	39756	
01.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	
18.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	3215	
20.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	6300	
20.03.2024	Bank of Baroda, Kangra	54160100002785	7820.16	
18.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	3757	
29.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	1662	
30.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	35625	
16.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	113772	
Total (A)			**1846080.16**	
ADD Cheque issued but not debited by bank till 31.03.2024				
Date	Cheque No.	Bank Name	Amount	
30.03.2024	00003	Bank of Barodha Kangra	46782	
30.03.2024	00004	Bank of Barodha Kangra	75059	
30.03.2024	00005	Bank of Barodha Kangra	74250	
30.03.2024	829931	HGB Jassur	6524882	
20.02.2024	Letter No. KMC-Vr-02/2024-989	HDFC Kangra	10280	

	Dated 20.02.2024			
Total (B)			**6731253**	
Grand Total (A+B)				**320435768.90**
Less:- Cheque deposited but not credited by bank till 31.03.2024				
Date	Bank Name	Cheque No.	Amount	
30.03.2024	PNB Bank	560911	1730	
30.03.2024	PNB Bank	452588	10780	
13.03.2024	PNB Bank	680811	2865	
30.03.2024	SBI Bank	11269	16452	
30.03.2024	PNB Bank	944810	21242	
30.03.2024	PNB Bank	208223	8565	
30.03.2024	PNB Bank	752194	23702	
30.03.2024	Canra Bank	244254	16387	
30.03.2024	Canra Bank	244256	134626	
03/2024	Punjab & Sindh Bank	000226	13414	
03/2024	Canra Bank	273501	18900	
03/2024	PNB Bank	832233	12543	
03/2024	HDFC Bank	000653	20000	
03/2024	UCO Bank	000136	38625	
03/2024	Canra Bank	273503	5000	
26.03.2024	PNB Bank	210711	7921	
30.03.2024	PNB Bank	385102	6283	
30.03.2024	BOB Kanggra	000312	79704	
30.03.2024	HDFC Bank	00002	71140	
30.03.2024	PNB Bank	28798	60279	
30.03.2024	PNB Bank	392906	29750	
30.03.2024	SBI Bank	919526	17076	
30.03.2024	PNB Bank	163361	101091	

01/2024	PNB Bank	912964	32590	
02/2024	SBI Bank	515890	25268	
02/2024	PNB Bank	208216	11917	
01/2024	Canra Bank	244248	17630	
30.01.2024	Canra Bank	690116	41511	
15.06.2020	KCC Bank	832831	38508	
Total (c)			**885499**	
Grand Total (A+B-C)				**319550269.90**
Less :- Swipe machine Chargess debited by ICICI bank Palampur on dated 29.01.2022 but not eneterd in Cash Book till 31.03.2024			70800	319479469.90
Balance as per Saving account/FDRs &Cash in Hand as on 31-03-2024				**319479469.95/-**

(I) अंकेक्षण दौरान पाया गया कि उपरोक्त विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में **₹18,46,080.16** की राशि बैंक में सीधे तौर पर प्राप्त की गई है, लेकिन यह राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में नहीं दर्शाई गयी है। अत: परामर्श दिया जाता है कि वर्णित राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(II) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 दौरान कृषि उपज मण्डी समिति की बैंक समाधान विवरणी अनुसार राशि **₹67,31,253.00 के** चैक भुगतान हेतु जारी किये गये थे परन्तु दिनांक 31.03.2024 तक बैंक द्वारा इन्हें भुनाया नहीं गया है | अत: इनके भुगतान को सुनश्चित करते हुए जो चैक कालातीत पाए जाते है उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करनी सुनिश्चित की जाए।

(III) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में कृषि उपज मण्डी समिति को राशि **₹8,85,499**.00 की आय चैक के माध्यम से प्राप्त हुई है जिन्हें रोकड़ बही में आय पक्ष में तो दर्ज कर लिया गया है परन्तु यह राशि दिनांक 31.03.2024 तक बैंक में प्राप्त नहीं हुई अत: इस राशि की प्राप्ति हेतु उचित कार्रवाई करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(IV) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन व उपरोक्त विवरण अनुसार दिनांक 29.01.2022 को **₹70800** की राशि ICICI बैंक पालमपुर द्वारा स्वाइप मशीन चार्जेज के रूप में काटे गये थे लकिन यह राशि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में नहीं दर्शाई गयी थी , जिसे रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में दर्शाया जाना सुनश्चित किया जाए |

इसके अतिरिक्त इस कटौती के सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा भी अधियाचना संख्या 259 दिनाकं 27.01.25 सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु जारी की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या APMC-KGR-C(12)-1/2025-1530 के अंतर्गत अवगत करवाया गया कि यह मामला अभी तक बैंक के पास विचाराधीन है,जैसे ही उक्त राशि की वसूली हो जाती है , अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा |

6 **निवेश :-**

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक सावधि जमा योजना में **₹**266693916.4 निवेशित है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख-2"** पर दिया गया है।

7 **दिनांक 31.03.2024 को राशि ₹32.49 लाख का हस्तगत शेष दर्शाया जाना :-**

अंकेक्षण अवधि 2022-23 से 2023-24 तक के अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही में **परिशिष्ट – "ग"** अनुसार राशि ₹3249169.00 को हस्तगत राशि के रूप में दर्शाया गया है जो नियमानुसार एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 3(1) अनुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या उससे अगले दिन बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है परन्तु समिति द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 276 दिनांक 06-02-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या APMC –KGR-C(12)-1/ 2025-1648 दिनांक 06.03.2025 के अंतर्गत अवगत करवाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा जारी किये गये सभी लाइसेंसों का नवीनीकरण मार्च माह में किया जाता है तथा सभी लाइसेंस धारकों से 31 मार्च तक उनसे देय मण्डी शुल्क/दुकानों का किराया वसूल किया जाता है | इसलिए मार्च महीने के आखरी सप्ताह में ज्यादातर लाइसेंस धारकों द्वारा देय मण्डी शुल्क व किराये का भुगतान किया जाता है | दिनांक 31.03.2024 को राशि 32.49 लाख का हस्तगत शेष होना भी इसी कारण से है तथा साथ ही अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वित्त वर्ष के अंतिम समय में हस्तगत शेष कम से कम हो | अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस अनियमितता को नकारते हुए, प्राप्त आय को तुरंत बैंक में जमा किया जाना सुनश्चित किया जाए |

8. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए मण्डी समिति की निधि की ₹206.38 लाख की राशि को निजी बैंकों में निवेश करना:-

हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/83-III दिनांक 06.01.2021 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार, संस्थानों की अतिरिक्त राशि का 60 प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित वाणिज्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक व FDR'S रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2024 के अनुसार मण्डी समिति को निम्न विवरण अनुसार कुल निधि का लगभग 66.60 प्रतिशत भाग ₹20,63,84,751.10 को अत्यधिक जोखिम पर निजी बैंकों में बचत बैंक खातों तथा सावधि जमा में निवेशित किया गया था जोकि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

क्रम संख्या	कुल निधि (सावधि जमा सहित)	निजी बैंकों में निवेशित राशि	निजी बैंकों में निवेशित राशि का प्रतिशत (%)
1	319479469.95	206384751.10	64.60%

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243 दिनांक 18-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: अत्यधिक जोखिम पर निजी बैंक में राशि को निवेशित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करना सुनश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. प्रतिभूति राशि को नियमानुसार अलग बैंक खाते में जमा न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (वित्तीय) नियम 2006 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार:- "*Separate account for arbitration fee, security, etc.- (1) All moneys received by committee be way of arbitration fee, or as security for costs in arbitration proceeding , or any money received by way of security deposit, contribution to provident fund, or for payment in respect of any notified agriculture produce , or on account of some other charges payable by the committee , or such other money received by the committee as is specified in these rule or bye-laws, made under the Act shall be deposited and credited to a separate account of the*

committee with a nationalized bank or the Himachal Pradesh State cooperative bank" परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान प्राप्त प्रतिभूति राशि को अलग बैंक अकाउंट में जमा न करके समान्य बैंक अकाउंट में जमा किया गया है, जो उपरोक्त नियम की अवेहलना है| अंकेक्षण द्वाराअधियाचना संख्या 250 दिनांक 21-01-2025 के माध्यम से इस सम्बन्ध में सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था , जिसके प्रतिउत्तर में मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या APMC –KGR-C(12)-1/ 2025-1528 के अंतर्गत अवगत करवाया गया कि इस कार्यालय को प्रतिभूति राशि को अलग से जमा करने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी इसलिए इस राशि को अलग से बैंक में जमा नहीं करवाया गया , परन्तु इसे भविष्य में कर लिया जायगा | अत प्रतिभूति राशि को अलग बैंक अकाउंट में जमा किया जाना सुनश्चित किया जाए व कृत करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹209.10 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना 241 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना के अवलोकन में पाया गया कि समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान राशि **₹2,09,10,869.00** निक्षेप कार्यों के रूप में मार्किटिंग बोर्ड व विभिन्न विभागों के पास में जमा करवाई गई थी, किन्तु दिनांक 31.03.2024 तक निष्पादित किए गए कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किये गए जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :-

वर्ष : –2020-21				
क्रम संख्या	कार्य का नाम	माध्यम व दिनांक	राशि (₹)	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्ती की तिथि व पत्र संख्या।
1.	c/o Upgradation and strengthening of existing Market yard Palampur	Through RTGS dt. 13-10-2020	35,44,010	**लम्बित**
	योग (क)		**₹35,44,010**.00	
वर्ष:- 2021-22				
2.	Temporary Metered Supply | Part new Connection (Paddy Procurement Centre Old Mineral Water Factory Tyoda,	Through RTGS dt.07-10-2021	37,541	लम्बित

	IndoraDistt Kangra			
3	Estimate for Provision Temporary SOPby providing 3phase LT line to newly opened Mandi at Badukhar Under ESD Rey Distt Kangra	Through RTGS dt. 11-10-2021	2,17,920	लम्बित
4.	Deposit Estimate for Prov. Temporary connection to APMC Fatehpur by providing LT line extension from existing 11/4 KV 250 KVA/STN in section Fatehpur	Through RTGS dt. 13-10-2021	3,23,725	लम्बित
5.	C/o Boundary wall along the khad on back side and provision of inter locking concrete paver block in sub market yard at Jassur, Distt Kangra	Through RTGS dt. 24-11-2021	10,77,656	लम्बित
6.	P/F I no High Mast 16 mtr pole with 6 Nos LED Flood Light at RM sub yard Passu, Deptt of HP State AMB, Dharamshala, Distt Kangra	Bank Draft dt.09-02-2022	5,11,200	लम्बित
7.	C/o Ten shed for the storage of paddy at SMY Riyali The Fatehpur, Distt Kangra	Through RTGS dt. 23-02-2022	6,00,000	लम्बित
8.	R/M LWSS Guler, Bilaspur in The Dehra (P/L/ &joint of Gl pipe 15 mm dia in APMC Guler (Deposit Work)	Through Cheque dt. 07-03-2022	91,310	लम्बित
	योग (ख)		**₹2859352.00**	
		वर्ष :- 2022-23		
9	Drilling lowering and Energisation of Hand Pump at Grain Market at Village Bella Ludianchan in Gram Panchayat Riyali Teshil Fatehpur	Through Cheque No. 110670 dt. 06.04.2022	4,98,703	लम्बित
10	Revised Estimate for providing SOP to Grain Market Riyali by providing 3-Phase LT in Electrical section Badukhar under ESD Rey	Through RTGS dt. 08.04.2022	4,84,334	लम्बित
11	Deposit estimate for providing SOP to new 63KVA,11/0.4KV DTR along with HY and LT line for Grain Mandi Riyali	Through RTGS dt. 25.04.2022	11,03,793	लम्बित

12	Estimate for Providing SOP APMC Fatehpur by providing LT line	Through RTGS dt. 22.04.2022	4,86,000	लम्बित
13	Estimate for Providing SOP APMC Fatehpur by providing 11/0.4KV 100KVA S/stn in Electrical Section Fatehpur	Through RTGS dt. 22.04.2022	5,24,495	लम्बित
14	Expenditure on inauguration of Kissan Bhawan and up gradation and strengthen of existing SMY Palampur	---	101850	लम्बित
15	Provding, Drilling and Enerzisation of Hand Pump at New constructed Sabzi mandi Passu	Through Cheque No. 110679 dt. 06.04.2022	4,06,180	लम्बित
16	Drilling, Lowering and Energisation of Hand Pump at Grain Market at Village Milwan	Through Cheque No. 000090 dt. 12.09.2022	5,52,703	लम्बित
17	SOP work for Prov. 11/0.4KV 63KVA substation along with HT line & LT Line	Through RTGS dt. 12.09.2022	12,97,606	लम्बित
18	Expenditure on Procurement Centre Tiyora (Levelling, cleaning, wooden fixing etc.)	Through RTGS dt. 07.10.2022	2,50,000	लम्बित
	योग (ग)		**₹5705664.00**	
	वर्ष:- 2023-24			
19	C/o open platform plinth for Mobile Storage Unit at Anaj Mandi Milwan	Through RTGS dt. 03.06.2023	7,97,477	लम्बित
20	C/o Packing Grading Shed at Kangra	Through RTGS dt. 21.07.2023	3,29,915	लम्बित
21	C/o Repair & Maintenance of office and residence of APMC employees at Kangra, Distt. Kangra H.P.	Through RTGS dt. 13.07.2023	5,54,553	लम्बित
22	C/o Providing E.I. in toilet block Kangra, Distt. Kangra H.P.	---	98,092	लम्बित
23	C/o Repair & Maintenance of existing Auction Yard, Shops i.e. provision of pre painted sheet & other minor repair at SM Yard Baijnath Distt Kangra	Through RTGS dt. 13.07.2023	14,07,315	लम्बित

24	Repair & Maintenance along with provision of aluminium partition for e-NAM hall and office at R. Market Sub Yard Baijnath, Distt. Kangra H.P.	Through RTGS dt. 27.09.2023	8,76,950	लम्बित
25	Deposit of 20% APMC Share regarding Civil Works and goods i.r.o. upgradation Market Yard at Palampur, Distt. Kangra H.P.	Through RTGS dt. 15.03.2024	1,76,251	लम्बित
26	Work of addition and alteration in existing shops/booths for making provision of e-NAM office at Sub-Market Yard Passu, Dharamshala, Distt. Kangra H.P.	Through RTGS dt. 13.07.2023	3,12,831	लम्बित
27	C/o Toilet Block and Septic tank at Jassur, Distt. Kangra H.P.	Through RTGS dt. 13.07.2023	5,37,179	लम्बित
28	C/o Toilet block at Jassur, Distt Kangra, SH: E.I. works thereof	Through RTGS dt. 13.07.2023	80,662	लम्बित
29	Provision for SOP to office Secy. APMC Kangra to Jasur Mandi for Aug. of 25 to 100 KVA S/Stn Sabji Mandi Jassur	Through RTGS dt. 18.01.2024	3,58,090	लम्बित
30	C/o Open Yard Direct Procurement Centre & Toilet Block etc.	---	32,72,528	लम्बित
योग (घ)			**₹8801843**.00	
कुल योग (क+ख+ग+घ)			**₹20910869.00**	

अत: उपरोक्त वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से शीघ्र प्राप्त किये जाए तथा यदि सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन उपरांत कोई राशि शेष बचती है , तो उसकी सम्बन्धित विभागों से प्राप्ति करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11(i) दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹29.65 लाख की वसूली न करने बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना 255 दिनांक 23.01.2025 की अनुपालना में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन में पाया गया कि उप सब्जी मण्डी जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, काँगड़ा ,नगरोटा बगवां ,बैजनाथ, पालमपुर ,जसूर व फतेहपुर के निम्न वर्णित दुकानदारों से किराये के रूप में लगभग 1 से 20 वर्षों से दिनांक 31-03-24 तक **राशि ₹29,65,688** वसूली हेतु लम्बित है |

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम	मासिक किराया (₹)	अवधि	राशि (₹)
1	मै० लक्ष्मी शिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 1जयसिंहपुर	1193	7/05 से 6/08 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	7/08 से 6/11 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	7/11 से 11/11 5 मास	7215
2.	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर	1193	10/04 से 9/07 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	10/07 से 9/10 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	10/10 से 11/11 14 मास	20202
3.	मै० तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 जयसिंहपुर	1193	9/04 से 8/07 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	9/07 से 8/10 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	9/10 से 11/11 15 मास	21645
4.	मै० सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 4 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	6/08 से 5/11 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	6/11 से 11/11 6 मास	8658
5.	मै० ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न० 5 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	6/08 से 5/11 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	6/11 से 11/11 6 मास	8658
6.	मै० जानू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 6 जयसिंहपुर	1193	8/05 से 7/08 36 मास	42948
	यथोपरी	1312	8/08 से 7/11 36 मास	47232
	यथोपरी	1443	8/11 से 11/11 4 मास	5772
7.	मै० अरविन्द जग्गी कैंटीन	500	9/04 से 8/07 36 मास	18000
	यथोपरी	550	9/07 से 8/10 36 मास	19800

	यथोपरी	605	9/10 से 11/11 15 मास	9075
8.	मै० बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न० 2 जयसिंहपुर	700	9/04 से 8/07 36 मास	25200
	यथोपरी	770	9/07 से 8/10 36 मास	27720
	यथोपरी	847	9/10 से 11/11 15 मास	12705
9.	मै० हरीश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 3 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	यथोपरी	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	यथोपरी	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
10.	मै० गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 4 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	यथोपरी	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	यथोपरी	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
11.	मै० शिवा फ्रूट कम्पनी बूध न० 5 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	यथोपरी	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	यथोपरी	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
12.	मै० हरिकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न० 6 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	यथोपरी	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	यथोपरी	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
13.	मै० जय हनुमान फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 ज्वालामुखी	2370	7/13 से 05/14 11 मास	26070
14.	मै० पी.ऍफ़.सी. दुकान न० 2 ज्वालामुखी	2370	1/15 से 03/15 3 मास	7110
15.	मै० जय माँ ट्रेडिंग कम्पनी दुकानन० 7 ज्वाला मुखी	3894	10/19 से 03/22 30 मास	116820
16.	मै० ध्रुव फ्रूट कम्पनी दुकान न० 8 ज्वालाजी	8068	07/19 से 03/22 33 मास	266244
17.	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर	1587	04/16 से 3/19 36 मास	57132
	यथोपरी	1746	04/19 से 3/22	62856

			36 मास	
18.	मै० बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न० 2 जयसिंहपुर	932	04/16 से 3/19 36 मास	33552
	यथोपरी	1025	04/19 से 03/22 36 मास	36900
19.	मै० गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 4 जयसिंहपुर	932	04/16 से 3/19 36 मास	33552
	यथोपरी	1025	04/19 से 03/22 36 मास	36900
20.	मै० हरिकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न० 6 जयसिंहपुर	932	04/16 से 3/19 36 मास	33552
	यथोपरी	1025	04/19 से 03/20 36 मास	36900
21.	बूथ न० -2 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
22.	बूथ न०-3पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	07/15 से 15-10-15	3500
23.	बूथ न०-4 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	07/15 से 15-10-15	3500
24.	बूथ न०-10 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
25.	बूथ न०-11 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
26.	बूथ न०- 12 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	08/15 से 15-10-15	1500
27.	मै. सुनील फ्रूट के० पालमपुर	3356	1-1-22 से 31-03-22 3 मास	10068
28.	मृदा सरंक्षण विभाग जय सिंहपुर शॉप न०-01	1886	1-4-20 से 31-3-22 24 मास	45264
29.	मै० महा लक्ष्मी फ्रूट के फतेहपुर	2950 (18% GST सहित)	7/17 से 4/20 34 माह	100300
30.	यथोपरी	3245 (18% GST सहित)	5/20 से 3/22 11 मास	35695
31.	मै० दरवारा सिंह फ्रूट के फतेहपुर	2596 (18% GSTसहित)	8/20 से 6/21 11 मास	28556
32.	उप-रोज़गार कार्यालय वैजनाथ (विश्राम गृह हाल का किराया)	3080 (18% GST सहित)	24-2-21 से 31-3-22 13 मास 5 दिन	41140
	मार्किट यार्ड काँगड़ा			
33	मै. लक्ष्मी फ्रूट कंपनी (Shop No. 01)	797 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	9564
34	मै. लक्ष्मी फ्रूट कंपनी (Room)	520 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	6240

35	मै. कुलजीत फ्रूट एजेंसी (ShopNo. 2)	914 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	10968
36	मै. कुलजीत फ्रूट एजेंसी (Room)	520 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	6240
37	मै. मनोहर सिंह , इंदरजीत सिंह (Room)	520(18% GST सहित)	09/23 से 03/24 07 मास	3640
38	मै काँगड़ा फ्रूट एजेंसी (Room)	520 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	6240
39	मै. राम श्री राम फ्रूट कंपनी	144 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	1728
40	मै. जॉय फ्रूट कंपनी	144 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	1728
41	मै. गुरु नानक फ्रूट कंपनी	1957 (18% GST सहित)	01/17 से 06/20 (बकाया किराया शेष)	4778
			09/23 से 03/24 07 मास	13699
42	मै. अमन फ्रूट कंपनी	1957 (18% GST सहित)	06/23 से 03/24 10 मास	19570
43	मै. न्यू लक्ष्मी फ्रूट कंपनीM/s Shop No. 1A	1244 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	14928
		मार्किट यार्ड नगरोटा बगवां		
44	मै. साईं फ़ूड ग्रेन कंपनी Shop No. 4A	887 (18% GST सहित)	03/24	887
45	मै. ए.एस. कुमार एंड कंपनी	1571 (18% GST सहित)	03/24	1571
		मार्किट यार्ड जसूर		
46	मै. रुद्रा फ्रूट कंपनी Shop No. 29	35695 (18% GST सहित)	05/23 से 03/24 11 मास	392645
		मार्किट यार्ड फतेहपुर		
47	मै. कृष्णा फ्रूट कंपनी Shop No. 02 Block-I	3245 (18% GST सहित)	03/24	3245
48	मै. आर. एस. पठानिया एग्री. मार्किटिंग. सोसाइटी Shop No. 06 Block –I	3245 (18% GST सहित)	02/24 से 03/24 02 मास	6490
49	मै. आर. एस. पठानिया एग्री. मार्किटिंग. सोसाइटी Shop No. 06 Block –II	2596 (18% GST सहित)	02/24 से 03/24 02 मास	5192
50	मै. मानवी फ्रूट कंपनी	2596 (18%	03/24	2596

	Shop No. 01 Block-II	GST सहित)		
51	मै. महंतमहेश गिरी Shop No. 07 Block-II	2596 (18% GST सहित)	03/24	2596
52	मै. सत्या करयाना एंड ग्रेन मार्किट फतेहपुर Shop No. 05 Block-III	8000 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	96000
मार्किट यार्ड बैजनाथ				
53	मै. गगन डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी Shop No. 07	23246 (18% GST सहित)	01/23 से 03/24 15 मास	348690
कुल योग				**₹2965688/-**

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 277 दिनांक 06-02-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को अवगत करवाया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज समिति, काँगड़ा किराये की उगाही हेतु गम्भीर नहीं है। अतः लम्बित राशियों की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके।

11(ii) दुकानों के किराये का नियमित रूप से भुगतान न करने पर देय दंड शुल्क राशि ₹0.28 लाख की वसूली न करने के कारण सम्भावित हानि :-

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न यार्डों में आबंटित दुकानों/बूथ/स्टोर हेतु किये गये अनुबंध की शर्त -3 के अनुसार दुकानदारों द्वारा मासिक किराये का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख को अग्रिम में किया जाना अनिवार्य था तथा ऐसा न करने पर दुकानदार को **₹50** दंड देना होगा यदि वह किराये का भुगतान 7 दिन के बाद परन्तु महीने की 15 तारीख तथा जिस तारीख तक दुकानदार भुगतान करता है उस तारीख तक **₹**10 प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूलने का प्रावधान है यदि किरायेदार लगातार तीन माह तक किराये का भुगतान करने में विफल रहता है तो कृषि उपज समिति को आबंटन रद्द करने तथा बिना किसी पूर्व सूचना के आबंटित परिसर से अपना कब्जा वापिस लेने की स्वंत्रता होगी। परन्तु कृषि उपज मण्डी समिति के निम्न यार्डों के वर्ष 2022-23, 2023-24 के किराये रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि लगभग सभी दुकानदारों /पट्टाधारी द्वारा मासिक किराये की राशि का नियमित रूप से देय तिथि जो कि उपरोक्त शर्त के अनुसार माह की 7 तारीख है में किराये का भुगतान न करके देरी से या तो माह के अंत में या कुछ

माह का एक साथ व कुछ का लगभग वर्ष उपरांत इकठ्ठा किया जा रहा है |तथा समिति द्वारा किसी भी दुकानदारों /पट्टाधारी से दंड शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है तथा न ही उक्त शर्त अनुसार दोषियों की खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जो एक गम्भीर अनियमितता है जिनमें से अंकेक्षण द्वारा केवल कुछ ही प्रकरणों का विवरण निम्न दिया गया है :-

Sr. no.	Firm name	Shop No.	Monthly Rent due	Rent due date	Receipt No. date	No. of days which rent received deleyed	Amount of penalty @ 10/- per day	Amount of penalty till 15th of the month	Total amount of penalty (₹)
				SMY Baijntah					
1	M/S Punjab fruit Shop	1	951/-	07/04/22	160122/ 24.12.2022	261	2610	50	2660
2	M/S OM Lal fruit	2	951/-	07/03/2023	160189/ 20.03.2023	13	130	50	180
3	M/S vandna fruits	5	1047/-	07/03/2024	148519/ 30.03.2024	23	230	50	280
4	M/S Luxmi fruit	9	1328/-	07/03/2024	148468 /23.03.2024	16	160	50	210
				SMY Dhrman					
1	M/S Gagan dairy fruit	6	1815/-	07/11/2023	148490/ 30.03.2024	143	1430	50	1480
2	M/S Ajay pal fruits	5	1815/-	07/01/2023	129232/ 29.03.2023	81	810	50	860
3	M/S ram Fruits	1	1500/-	07/03/2023	148481/ 27.03.2024	354	3540	50	3590
4	M/S yuvraj fruit	6	1815/-	07/01/2024	148488/ 30.03.2024	82	820	50	870
				SMY Palampur					
1	M/S satish fruit	4	1598/-	07/03/2023	128809/ 30.03.2023	23	230	50	280

2	M/S ruder fruit	6	1598/-	07/03/2023	128804/ 30.03.2023	23	230	50	280
3	M/S Gagan fruit	4	3832/-	07/03/2024	168368/ 30.03.2024	23	230	50	280
	M/S Aakash Fruit	15	3909/-	07/03/2024	168377/ 08.04.2024	32	320	50	370
SMY Dharmshala									
1	M/S Tej Pal	1	2396/-	07/04/2022	137966/ 17.10.2022	193	1930	50	1980
2	M/S Onkar Singh	-	5800/-	07/04/2022	137943/ 20.09.2022	166	1660	50	1710
3	M/S Sittu Devi	5	2396/-	07/08/2023	161354 /21.08.2023	14	140	50	190
4	M/S Maan Singh	3	2396/-	07/02/2024	147266/ 26.02.2024	19	190	50	240
SMY Jassur									
1	M/S Rudra Fruit	29	32450/-	07/08/2022	162099/ 10.07.2023	337	3370	50	3420
2	M/S Hiamchal fruit	21	1465/-	07/03/2023	160973/ 31.03.2023	24	240	50	290
3	M/S Hiamchal fruit	21	1465/-	07/12/2023	162918/ 29.02.2024	84	840	50	890
4	M/S Sharma Brothers	19	1465	07/03/2024	163078/ 30.03.2024	23	230	50	280
SMY Kangra									
1	M/S luxmi Fruit	1	675/-	07/09/2022	161626/ 31.03.2023	205	2050	50	2100
2	M/S Kuljeet fruit	2	914/-	07/10/2022	161713/ 28.04.2023	203	2030	50	2080

3	M/S Hiamchal fruit	3	774/-	07/04/2023	147851/ 20.12.2023	257	2570	50	2610
4	M/S Krishna fruit	5	815/-	07/04/2023	142228/ 08.6.2023	62	620	50	670
Total									**₹27700/-**

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 263 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुबंध की शर्त अनुसार दण्ड शुल्क की वसूली व इस प्रकार के अन्य प्रसंगों की विस्तृत पड़ताल मण्डी स्तर पर करने उपरांत यदि देय दण्ड शुल्क की राशि वसूली हेतु लम्बित पाई जाती है तो उचित कार्रवाई करते हुए दंड शुल्क की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

11(iii) कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानें/बूथ/गोदाम का काफी समय से खाली रहने के कारण हो रही वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति की निम्न वर्णित दुकानें/बूथ/गोदाम काफी समय से खाली है जिसके पुनःआबंटन हेतु मण्डी समिति द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, फलस्वरूप मण्डी समिति को इन दुकानों से किराए के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि हो रही है।

क्रम संख्या	मार्किट यार्ड	दुकानों की संख्या	बूथ की संख्या	गोदाम की संख्या
1	ज्वालाजी	5	0	0
2	जयसिंहपुर	0	3	0
3	ज्वाली	2	0	0
4	गुलेर	3	0	0
5	फतेहपुर	2	0	5
कुल योग		**12**	**3**	**5**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 264 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को इस अनियमितता बारे अवगत करवाया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: **खाली पड़ी दुकानें/बूथ/गोदाम को** शीघ्र किराए पर देने के लिए पुन: आबंटन के प्रयास किये जाएँ ताकि मण्डी समिति की किराये के रूप में आय की वृद्धि हो सके तथा साथ ही की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12 मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित छ: कमरों के किराये ₹18.18 लाख की वसूली न करना:-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि मार्किट यार्ड काँगड़ा में दुकानों के उपर छ: कमरों का निर्माण किया गया है तथा कृषि उपज समिति की दिनांक 25-04-07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार माह 5/07 से प्रत्येक दुकानदार से **₹**1200/- मासिक दर से तथा प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त 10% वृद्धि के साथ किराया वसूलना अपेक्षित था जबकि कृषि उपज समिति द्वारा इस प्रस्ताव को नकारते हुए प्रति कमरा ₹520 मासिक दर से वसूला जा रहा है जो कि उक्त प्रस्ताव की अवेहलना है तथा साथ ही मण्डी समिति को भी आय के रूप में हानि हो रही है। समिति द्वारा कमरों के किराये की नियमानुसार वसूली न करने के कारण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में अवधि 05/2007 से 03 /2022 तक किराये की वसूली हेतु राशि ₹1542186 लंबित थी, जोकि वर्ष 4/22 से 03/24 में बढ़ कर निम्न विवरणानुसार **₹18,17,986/-** हो गई है।

व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	पिछला बकाया (As per pervious Audit report) (₹)	मांग (₹)	कुल मांग	वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि राशि(₹)	**31-03-24 को वसूली योग्य शेष राशि (₹)**
मै० लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	6240	305511
मै० कुलजीत फ्रूट कम्पनी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	6240	305511
मै० हिमाचल फ्रूट कम्पनी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	12480	299271
मै० मनोहर सिंह फ्रूट कम्पनी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	8840	302911
मै० कृष्णा फ्रूट कम्पनी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	12480	299271

मै० काँगड़ा फ्रूट एजेंसी	1932+ 18% GST= 2280	4/22 से 3/ 24= 24 मास	257031	54720	311751	6240	305511
	कुल योग		₹15,42,186	₹328320/-	₹1870506	₹52520/-	₹18,17,986/-

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: लम्बित किराये की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा साथ ही वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके| प्रस्ताव के विपरीत प्रति कमरा ₹520 मासिक दर से किराया वसूलने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

13 प्रिंसिपल मार्केट यार्ड काँगड़ा में निर्मित पुराणी केले की भट्टियों से किराये के रूप में लम्बित राशि ₹3.24 लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना 268 दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन में पाया गया कि मण्डी समिति के अंतर्गत प्रिंसिपल मार्केट यार्ड काँगड़ा में निर्मित पुराणी केले की भट्टियों से किराये के रूप में निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-24 तक राशि ₹3,23,890.00 वसूली हेतु लम्बित है जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है |

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम	मासिक किराया (₹)	अवधि	राशि (₹)
1	M/s Senisha Fruit Co. Bhatti No. 8	1322 (18% GST सहित)	02/24 से 03/24 02 मास	2644
2	M/s Tanvi Fruit Co. Bhatti No. 20	1322 (18% GST सहित)	06/23 से 03/24 10 मास	13220
3	M/s Umesh Fruit Co. Bhatti No. 9	1322 (18% GST सहित)	11/23 से 03/24 05 मास	6610
4	M/s Jai Baba Virbhadra Fruit Co. Bhatti No. 2(B)	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
5	M/s JSM Fruit Co. Bhatti No. 15	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
6	M/s Baglamukhi	1322 (18%	04/23 से 03/24	15864

	Fruit Co. Bhatti No. 16	GST सहित)	12 मास	
7	M/s Shirdi Sai Fruit Co. Bhatti No. 14	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
8	M/s Veer Agro Fruit Co. Bhatti No. 3(B)	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 032/4 12 मास	15864
9	M/s Raj Fruit Co. Bhatti No. 5(A)	1]322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
10	M/s KV Fruit & Veg. Fruit Co. Bhatti No. 1	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
11	M/s Grace Fruit Co. Bhatti No. 4	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
12	M/s Deepak Fruit Co. Bhatti No. 11	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
13	M/s Rishi Fruit Co. Bhatti No. 6	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
14	M/s Tannu Fruit Co. Bhatti No. 2(A)	1322 (18% GST सहित)	04/23 से 03/24 12 मास	15864
15	M/s Baba Virbhadra Fruit Co. Bhatti No. 12(B)	1322 (18% GST सहित)	04/22 से 03/24 24 मास	31728
16	M/s Maa Pitambra Fruit Co. Bhatti No. 5	1322 (18% GST सहित)	04/22 से 03/24 24 मास	31728
17	M/s BFC Fruit Co. Bhatti No. 10	1322 (18% GST सहित)	04/22 से 03/24 24 मास	31728
18	M/s Arsh Fruit Co. Bhatti No. 18	1322 (18% GST सहित)	04/22 से 03/24 24 मास	31728
कुल योग				**₹323890/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 277 दिनांक 06-02-2025 द्वारा इस अनियमितता बारे सचिव, मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया | अत: पुराणी केले की भट्टियों से किराये के रूप में लम्बित

राशि की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए तथा की गई कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवया जाए |

14. मण्डी शुल्क ₹4.59 लाख की नियमानुसार समय पर वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को हो रही वितीय हानि बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क से प्राप्त आय को देरी से जमा करवाया जा रहा है जोकि हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 45(2) के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है जबकि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार:-

"On the agricultural produce brought in the market area for the commercial transaction or for processing the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as case may be, in the office of the market committee, within fourteen days but before the sale or resale or processing or export outside the market area of such agricultural produce."

जिससे सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दिए गए है :-

Sr. no.	"O" Form No.	Name of Firm	Amount of Market Fee/User Charges (₹)	Market Fee received with in 14 Days (₹)	Market Fee received after 14 Days (₹)	Receipt No./Date	Period Of Business
1	0087389 to 0087400	M/S Vandana Fruit Company	11693	4906	6787	160183/ 09.03.2023	16.02.2023 to 01.03.2023
2	0087470 to 0087480	M/S Gagan Fruit Company	8696	3191	5505	160184/ 09.03.2023	16.02.2023 to 28.02.2023
3	0087949 to 0087961	M/S Luxmi Fruit Company	2326	1383	943	160190/ 20.03.2023	01.03.2023 to 15.03.2023
4	0087662 to 0087667	M/S Raman Fruit Company	2053	0	2053	160194/ 20.03.2023	15.02.2023 to 28.02.2023
5	0087481 to	M/S Gagan	9488	6090	3398	160199/	01.03.2023 to

	0087493	Fruit Company				20.03.2023	15.03.2023
6	0094356 to 0094369	M/S Gagan Dairy Fruit vegitable	2313	0	2313	129289/ 31.03.2023	04.04.2022 to 30.06.2022
7	0094370 to 0094378	M/S Gagan Dairy Fruit vegitable	1223	0	1223	129290/ 31.03.2023	04.07.2022 to 17.09.2022
8	0076928 to 076950	M/S Raman Fruit Company	3896	1263	2633	148421/ 06.03.2024	01.02.2024 to 29.02.2024
9	0014493 to 0053804	M/S Luxmi Fruit Company	1433	389	1044	148425/ 11.03.2024	16.02.2024 to 28.02.2024
10	0069124 to 0069148	M/S Gagan Fruit Company	8019	0	8019	148521/ 30.03.2024	01.02.2024 to 29.02.2024
11	0072307 to 0072311	M/S Keylong Wool Cooperative society	109752	1009	108743	148550/ 30.03.2024	06.04.2023 to 30.03.2024
12	0077617 to 0077634	M/S Durga Fruit Company	4175	1876	2299	128430/ 03.03.2023	10.02.2023 to 02.03.2023
13	0075774 to 0075790	M/S Tejpal Fruit Company	12677	7013	5664	128431/ 03.03.2023	10.02.2023 to 01.03.2023
14	0077806 to 0077834	M/S Harish Fruit Company	10599	2746	7853	128438/ 03.03.2023	27.01.2023 to 01.03.2023
15	0005067 to 005095	M/S Gupta Fruit Company	10407	3188	7219	128439/ 03.03.2023	27.01.2023 to 01.03.2023
16	0042901 to	M/S Sunil	12102	1915	10187	128453/	06.12.2022 to

	0042963	kumar				03.03.2023	02.03.2023
17	0011560 to 0011572	M/S Rana Fruit Company	903	0	903	128405/ 10.03.2023	01.11.2022 to 29.11.2022
18	0053199 to 0053200, 0077001 to 0077042	M/S Shankar Fruit Company	13995	0	13995	128466/ 16.03.2023	16.01.2022 to 28.02.2023
19	0096008 to 0096012	M/S Vintya Vashi	5381	0	5381	128467/ 16.03.2023	16.01.2022 to 28.02.2023
20	008877 to 0037551	M/S Tejpal Fruit Company	12473	0	12473	168226/ 15.03.2024	01.02.2024 to 29.02.2024
21	0088920 to 0088940	M/S Durga Fruit Company	6042	0	6042	168227/ 15.03.2024	01.02.2024 to 29.02.2024
22	0088551 to 0088589	M/S Ramesh Fruit Company	1606	0	1606	168258/ 19.03.2024	01.12.2023 to 29.02.2024
23	0021728 to 0021750	M/S Rana Fruit Company	1613	0	1613	168264/ 22.03.2024	01.09.2023 to 30.10.2023
24	0010347 to 0010348	M/S Surinder Kumar	4117	0	4117	160872/ 28.03.2023	01.02.2023 to 28.02.2023
25	0004110 to 0004111	M/S Nag Raj	14238	4064	10174	160876/ 28.03.2023	01.03.2023 to 28.03.2023
26	0006068 to 0006069	M/S Luxmi Naryan	2650	1110	1540	160877/ 28.03.2023	01.03.2023 to 28.03.2023
27	0009476 to 0009477	M/S Sati Sai	3570	1028	2542	160888/ 28.03.2023	01.03.2023 to 20.03.2023
28	0079315 to 0079316	M/S Manjeet Singh	3575	1161	2414	160890/ 28.03.2023	01.03.2023 to 20.03.2023
29	0054067 to 0054068	M/S Satish Kumar	2540	768	1772	160895/ 28.03.2023	01.03.2023 to 20.03.2023

30	0023490 to 0023491	M/S Balgesh Singh	2498	689	1809	160900/ 28.03.2023	01.03.2023 to 20.03.2023
31	0050033 to 0050034	M/S Ravi Kumar	5517	1470	4047	160916/ 28.03.2023	01.03.2023 to 20.03.2023
32	889856	M/S Puneet Kumar	780	0	780	160918/ 28.03.2023	01.03.2023 to 10.03.2023
33	0010516 to 0010518	M/S Radha Fruit Company	2020	327	1693	125830/ 29.03.2023	21.02.2023 to 20.03.2023
34	0073808	M/S Damtal Trading Company	7794	0	7794	128323/ 31.03.2023	01.02.2023 to 02.03.2023
35	0012308 to 0012310	M/S Trilok Raj	55050	4315	50735	128335/ 31.03.2023	22.02.2023 to 28.03.2023
36	0049215 to 0049216	M/S Harish Fruit Company	9810	3404	6406	128337/ 31.03.2023	01.03.2023 to 31.03.2023
37	0049308	M/S Rakesh Kumar	524	0	524	128338/ 31.03.2023	14.03.2023
38	0008001	M/S Amit & Company	2800	0	2800	128357/ 31.03.2023	21.09.2022 to 28.09.2022
39	0019508	M/S Mhadev Trading	9104	0	9104	128358/ 31.03.2023	07.02.2023 to 16.03.2023
40	0073807	M/S Damtal Trading company	25348	0	25348	128279/ 10.03.2023	01.02.2023 to 23.02.2023
41	006602	M/S Mahajan	2106	0	2106	128311/ 10.03.2023	09.11.2022 to 21.02.2023
42	0073819	M/S Damtal Trading company	19110	0	19110	148369/ 09.03.2024	01.02.2024 to 24.02.2024

43	0045914	M/S K.V Trading company	13118	0	13118	148376/ 09.03.2024	01.02.2024 to 24.02.2024
44	0012018 to 0012019	M/S S.S Trader	30016	1005	29011	148378/ 09.03.2024	01.01.2024 to 29.02.2024
45	0063719	M/S Mohan lal	10620	0	10620	148381/ 09.03.2024	08.02.2024 to 15.02.2024
46	0071737 to 0071742	M/S Jai Baba Birbhdar	10801	0	10801	153965/ 04.03.2023	26.06.2022 to 15.01.2023
47	0047090 to 0047095	M/S Ganesh Fruit Company	17409	7321	10088	161613/ 31.03.2023	01.12.2022 to 31.03.2023
48	0068059 to 0068060	M/S Manohar singh	4287	0	4287	168823/ 19.03.2024	01.02.2024 to 28.02.2024
49	0089021	M/S Devendra Fruit company	2295	0	2295	168840/ 22.03.2024	01.02.2024 to 28.02.2024
50	0065564 to 0065568	M/S Alisha Fruit Company	1260	115	1145	152851/ 27.03.2023	01.03.2023 to 14.03.2023
51	0044890 to 0044893	M/S New Young Farmer	4109	0	4109	152852/ 27.03.2023	01.03.2023 to 13.03.2023
52	0044778 to 0044778	M/S Jai Baba Balak Nath	1474	0	1474	152855/ 27.03.2023	01.03.2023 to 13.03.2023
Total			**₹521405**	**₹61746**	**₹459659**		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 248 दिनांक 21-01-2025 द्वारा उक्त अनियमितता बारे सचिव, मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था ,परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: नियम 45(2) के प्रावधानों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करके

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली करते समय उक्त नियम के प्रावधानों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित की जाए।

15. मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज ₹0.31 लाख की कम वसूली करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज से सम्बन्धित उपलब्ध "O" फार्म के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि **₹31165/-** कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न मार्किट यार्ड्स से मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज के रूप में कम प्राप्त की गई थी। नियमानुसार उक्त वसूली व्यापारियों द्वारा किए गए व्यवसाय के 1% की दर से की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार वसूली नहीं की गई।

क्रम संख्या	फर्म का नाम	"O" फार्म संख्या	कुल किया गया व्यापार	देय मण्डी शुल्क	प्राप्त मण्डी शुल्क	कम प्राप्ति (₹)
मार्किट यार्ड बैजनाथ						
1	मै. केलोंग नेचुरल वूल कॉपरेटिव सोसाइटी	0072302 से 0072306	8812800	88128	82852	5276
2	मै. गगन फ्रूट कंपनी	0087494 से 0087500	1099800	10998	10464	534
3	मै. लक्ष्मी फ्रूट कंपनी	0014493 से 0053804	155200	1552	1433	119
4	मै. रीत फ्रूट कंपनी	0069076 से 0069088	778500	7785	6565	1220
5	मै. वंदना फ्रूट कंपनी	0076991 से 0079166	2009300	20093	20034	59
मार्किट यार्ड पालमपुर						
6	मै. महाजन फ्रूट कंपनी	00772670 से 0077289	578900	5789	3989	1800
7	मै. गणेश फ्रूट कंपनी	0037363 से 0037387	998700	9987	9585	402
8	मै. गुप्ता फ्रूट कंपनी	0037257 से 0037281	1057700	10577	10475	102
9	मै. हर्षिल फ्रूट कंपनी	0037197 से 0037321	1188000	11880	11762	118
10	मै. ठाकुर फ्रूट कंपनी	0011180 से 0011186	987200	9872	9772	100
मार्किट यार्ड डमटाल						
11	मै. कृष्णा संस	0008508	300896	3009	2077	932

12	मै. श्री बांके बिहारी	0049003	1203601	12036	11680	356
13	मै. खुल्लर ओवेर्सिस	0049117 से 0049118	2872205	28722	27873	849
14	मै. महाजन फ्लोर	0012507 से 0012508	1312636	13126	11335	1791
15	मै. साईं कृपा	0008717 से 0008719	772200	7722	7510	212
16	मै. कर्म सिंह	0063177 से 0063180	1284800	12848	12698	150
17	मै. डी.आर.के ट्रेडर्स	0073619	467619	4676	1046	3630
18	मै. डी.आर.के ट्रेडर्स	0073620	452851	4529	1602	2927
19	मै. श्री बांके बिहारी	0049007	1533119	15331	14878	453
अधिसूचित क्षेत्र काँगड़ा (पार्ट-1)						
20	मै. सूद ट्रेडर	896149 से 896166	7537500	75375	72525	2850
21	मै. जय बाबा बीरभद्र	0071737 से 0071742	1092100	10921	10821	100
22	मै. गणेश फ्रूट कंपनी	0047090 से 0047091	175260	17526	17409	117
23	मै. सैनी फ्रूट कंपनी	0086097 से 0086098	477162	4772	4484	288
24	मै. देवेंदर फ्रूट कंपनी	0089020	242300	2423	2308	115
अधिसूचित क्षेत्र काँगड़ा (पार्ट-2)						
25	मै. हरबंश सिंह	0057001, 0113023 से 0113026	3420400	34204	33317	887
26	मै. शर्मा वूडन इंडस्ट्री	0057051 से 0057052	4136477	41365	40315	1050
मार्किट यार्ड फतेहपुर						
27	मै. कृष्णा फ्रूट कंपनी	482152	322500	3225	615	2610
मार्किट यार्ड जसूर						
28	मै. देवेंदर देवस	0079209	517600	5176	4824	352
मार्किट यार्ड धर्मशाला						
29	मै. मनोज फ्रूट कंपनी	0017553 से 0017586	689400	6894	5890	1004

30	मै. धरमेंदर जनरल स्टोर	0044306	578868	5789	5289	500
31	मै. वैष्णो फ्रूट कंपनी	0065900, 0113651 से 0113661	386200	3862	3600	262
कुल योग						**₹31165/-**

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 246 दिनांक 21-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व नियमानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनश्चित की जाए तदोउपरांत की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज ₹0.26 लाख की प्राप्ति न करना

अंकेक्षण के दौरान मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज से सम्बन्धित उपलब्ध "O" फार्म की पड़ताल करने पर पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मार्किट यार्ड्स जसूर से मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज के रूप में राशि **₹25532/-** प्राप्त नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	**फर्म का नाम**	**"O" फार्म संख्या**	**कुल किया गया व्यापार**	**देय मण्डी शुल्क**	**प्राप्त मण्डी शुल्क**	**कम प्राप्ति (₹)**
मार्किट यार्ड जसूर						
1	मै. वी. एन . टिम्बर	000625	2168573	21686	0	21686
2	मै. लक्ष्मी फ्रूट कंपनी	0023573	307000	3070	0	3070
3	मै. नसीब फ्रूट कंपनी	0079004	77615	776	0	776
कुल योग						**₹25532/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 247 दिनांक 21-01-2025 द्वारा उक्त अनियमितता बारे सचिव, मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: नियमानुसार मण्डी शुल्क की प्राप्ति न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 257 दिनाकं 27.01.2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से अवधि 04/22 से 03/24 तक लाइसेंस नवीनीकरण से सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर/अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया | जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि मण्डी परिक्षेत्र में व्यापर कर रहे व्यापारियों से लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने उपरांत नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि की प्राप्ति की गई है या नहीं | अत: इस सन्दर्भ में वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए जाए तथा साथ ही समिति द्वारा इस प्रकरण में अपने स्तर पर भी जाँच की जाए और यदि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु कोई राशि शेष पाई जाती है तो उसकी वसूली की जानी सुनश्चित की जाए |

18. मण्डी शुल्क के निर्धारण में पाई गई अनियमितता के कारण मण्डी समिति को राशि ₹3.69 लाख की हानि होना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कृषि उपज समिति द्वारा गैर लाइसेंस धारकों से जो मण्डी परिक्षेत्र में व्यापार कर रहे है, मण्डी शुल्क एक प्रतिशत की दर से वसूला गया था जबकि इस तरह के प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन समिति (विकास और विनियमन) 2005 के नियम 75(1) में प्रावधान अनुसार वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी तथा गैर लाइसेंसधारकों से 5 गुणा की दर से वसूली की जानी आपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में उक्त नियम के प्रावधानों की अवेहलना की गई है जिसके फलस्वरूप कृषि उपज समिति को राशि **₹368708/-** की हानि हुई है |

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म का नाम	"O" फार्म संख्या	किया गया कुल व्यापार	देय मण्डी शुल्क नियम 75(1) अनुसार पांच गुणा अधिक	प्राप्त किया गया शुल्क (₹)	कम प्राप्ति (₹)
1	2022-23	मै. कृष्णा ट्रेडर	0141651	187740	1877 x 5 गुणा = 9385	1877	7508
2	2023-24	मै. चाँद टिम्बर	0451215	8456699	84567 x 5 गुणा = 422835	84567	338268

3	2023-24	मै. काजल टिम्बर	0141351	126999	1270 x 5 गुणा = 6350	1270	5080
4	2023-24	मै. भ्रम फ्रूट एंड वेजिटेवल	0089101	446250	4463 x 5 गुणा = 22315	4463	17852
कुल योग							**₹368708/-**

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 249 दिनांक 21-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया ,परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके भविष्य में उक्त नियम के प्रावधानों की अनुपालना करना सुनश्चित किया जाए तदोपरांत की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

19. मण्डी शुल्क/यूजर चार्जस के रूप में राशि ₹3947 की वसूली कम करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में चैक पोस्टों की आयात व निर्यात विवरणियों के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल व सब्ज़ी का मूल्य चैक पोस्टों पर जो दर्ज किया गया है उस मूल्य से कम मण्डी शुल्क समिति द्वारा प्राप्त किया गया है जिसके कारण मण्डी समिति को राशि **₹3947/-** की हानि हुई है | विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	"O" फार्म संख्या / सामग्री का नाम	"O" फार्म के अनुसार सामग्री का मूल्य	प्राप्त की गई मार्किट फ़ीस की राशि	चैक पोस्ट अनुसार आयातित सामग्री का मूल्य	मार्किट फ़ीस प्राप्त करने योग्य राशि	कम प्राप्ति (₹)
1	मै. कंचन टिम्बर	0078710/ टिम्बर	2511590	25115	2716853	27168	2053
2	मै. आर. के.एम टिम्बर	489666/ टिम्बर	1593075	15935	1771014	17710	1775
3	मै. शिव शक्ति टिम्बर	502614/ टिम्बर	5478619	54786	5484918	54849	63
4	मै. रिंकू फर्नीचर इंडस्ट्री	0048701/ टिम्बर	262463	2625	268144	2681	56
कुल योग							**₹3947/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253 दिनांक 21-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति से तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

20. "O" फार्म का नियमानुसार सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37 के अनुसार " Accounts of transactions and of fees to be maintained .-(1) Every trader dealing with an agricultural produce, shall maintaine a record of sale and purchase in form"O", exhibiting inter-alia, items , quantity and value representing each and every transaction on day –to-day basis ". परन्तु अंकेक्षण के दौरान विभिन्न फर्मों से मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का नियमानुसार सही ढंग से रख-रखाव नहीं की जा रहा है व निर्धारित "O" फार्म में कई जगह कटिंग व ओवररायटिंग (overwriting) की गई थी तथा कई फर्मों द्वारा "O" फार्म में निर्धारित कॉलम में रेट, वजन, मात्रा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरे जा रहे है जिसके कारण मण्डी शुल्क की दर्शाई गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती जो कि जोकि अनुचित तथा अनियमित है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 252 दिनांक 21-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया। अत: यह परामर्श दिया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा सभी व्यापारियों/आढतियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएँ ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जा सके |

21 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान में पाया गया कि कृषि उपज समिति द्वारा निम्न लिखित पंजीकृत व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली सम्बन्धित प्रभारी द्वारा नहीं की गई है, जिससे मण्डी समिति को वित्तीय हानि हो रही है,जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। व्यापारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

कम संख्या	फर्म का नाम	अवधि
मार्किट यार्ड काँगड़ा		
1.	मै० जगदीश चंद	01.04.2022 से 31.08.2022
2.	मै० आराध्या ट्रेडर	01.01.2023 से 31.03.2023
मार्किट यार्ड जसूर		
3.	मै० हिमाचल फ्रूट कंपनी	01.12.2023 से 31.03.2024
4.	मै० हरी ओम ट्रेडर	01.04.2023 से 31.03.2024
5.	मै० ओम ट्रेडर	26.10.2023 से 31.03.2024
6.	मै०जीवन कटोच	26.04.2023 से 31.03.2024
मार्किट यार्ड बैजनाथ		
7.	मै० गगन डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी	01.04.2023 से 31.03.2024
मार्किट यार्ड पालमपुर		
8.	मै० वीरा फ्रूट कंपनी	01.04.2023 से 30.06.2023
9.	मै० श्री शिरिड़ी साई बाबा फ्रूट कंपनी	04.09.2022 से 30.06.2023
10.	मै० प्रेम एंड यश महाजन	01.08.2023 से 31.03.2024
11.	मै० शोभिनी ट्रेडर	01.08.2023 से 31.03.2024
12.	मै० वैभ्यी ट्रेडर	01.08.2023 से 31.03.2024
मार्किट यार्ड डमटाल		
13.	मै० आर. एम. ट्रेडर	01.04.2022 से 31.08.2022
14.	मै० अविनाश चन्द्र एंड कैलाश चन्द	01.04.2022 से 10.08.2022
15.	मै० पंजाब ट्रेडर ग्रेन मार्किट	01.04.2022 से 08.08.2022
16.	मै० करण सिंह एंड महेंदर सिंह कंपनी	01.04.2022 से 10.08.2022
17.	मै० एस.एस. साल्ट ट्रेडर	01.04.2022 से 13.09.2022
18.	मै० **डमटाल ट्रेडिंग कंपनी**	01.04.2022 से 04.09.2022
19.	मै०डी.आर.के ट्रेडर	01.04.2022 से 31.08.2022

20.	मै० श्री बांके बिहारी ट्रेडिंग	01.04.2022 से 08.08.2022
21.	मै० खुल्लर ओवेर्सिस ट्रेडर	01.04.2022 से 07.08.2022

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254 दिनांक 21-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: उपरोक्त वर्णित व्यापारियों से मण्डी शुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही लम्बित मण्डी शुल्क की वसूली प्राथमिक स्तर पर करना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

22 अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के निम्न 189(3) के अनुसार आहरित अग्रिम राशि को 15 दिनों के भीतर समायोजित करवाना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर अग्रिम राशि या शेष राशि उसके वेतन से वसूल की जा सकती है तथा दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सम्बन्धित कर्मचारी पहली अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करवाता | परन्तु अंकेक्षण अधियाचना 240 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/ सूचना की पड़ताल में पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अस्थाई अग्रिम राशि का समायोजन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है | अंकेक्षण दौरान कई मामलों में यह भी पाया गया कि कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम राशि से सम्बंधित बिल व्यय करने के दो या तीन माह के बाद समायोजन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इसके कारण न केवल ली गई अग्रिम राशि के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है बल्कि मण्डी समिति को ब्याज के रूप में होने वाली सम्भावित आय की भी हानि हो रही है | उक्त अनियमितता से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी	बिल संख्या /दिनांक	अग्रिम राशि (₹)	विवरण
1	श्री अरुण कुमार (सहायक नीलामी कर्ता)	19/25.04.2022	12500	असमायोजित
2	श्री नरेंद्र राणा (नीलामी कर्ता)	19/25.04.2022	12500	असमायोजित
3	श्री राज कुमार (लिपिक)	60/03.06.2022	3000	असमायोजित

4	श्री अजय कुमार (लेखाकार)	132/19.09.2022	50000	असमायोजित
5	श्री राज कुमार (लिपिक)	211/16.02.2023	3000	असमायोजित
6	श्री राज कुमार (लिपिक)	87/31.08.2023	3000	असमायोजित
7	श्री अश्वनी कुमार (ड्राईवर)	150/12.10.2022	20000/-	समायोजन की तिथि 24.02.2023
8	श्री अश्वनी कुमार (ड्राईवर)	216/24.02.2023	20000/-	समायोजन की तिथि 19.06.2023
9	श्री अश्वनी कुमार (ड्राईवर)	13/01.05.2023	20000/-	समायोजन की तिथि 02.08.2023
10	श्री अश्वनी कुमार (ड्राईवर)	68/02.08.2023	20000/-	समायोजन की तिथि 02.11.2023
11	श्री अश्वनी कुमार (ड्राईवर)	122/02.11.2023	20000/-	समायोजन की तिथि 16.02.2024

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 278 दिनांक 06-02-2025 द्वारा उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में सचिव, मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई की जाए तथा साथ ही परामर्श दिया जाता है, कि भविष्य में अग्रिम राशि का समायोजन उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23. प्रोफेशनल और लीगल फ़्रीस के रूप में राशि ₹1.18 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार ऑफिस मैन्युअल की धारा 16.63 *"Settlement of fees, Before engaging private council in a government case, the time of engagement viz, counsel fee, clerkage, consultation fee or conference fee etc. should be obtained from the private counsel or settled by a senior functionary and thereafter got concurred in by the law Department and approved from the Government in the Administrative Department concerned. After Government Approval, acceptance of the private counsel and the Advocate General with a copy to the Home Department. it should be ensured that the fees or other charges are abnormally high in comparison with similar other cases."*

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समीति द्वारा समिति की ओर से केस लड़ने के लिए प्राइवेट काउंसल श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता एवं श्री अरविन्द शर्मा, अधिवक्ता को नियुक्त करते समय उक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है तथा न ही मण्डी समिति द्वारा इनसे council fee, clerkage fee से सम्बन्धित कोई भी रेट /दरें प्राप्त की गई है और न ही विधि विभाग से इस सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किया गया है | मण्डी समिति द्वारा उक्त नियम की अवेहलना करते हुए लीगल फ़ीस के रूप में निम्न विवरण अनुसार अधिवक्ताओं को भुगतान किया गया है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	अधिवक्ता का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1	53/30.05.2022	श्री मनोज कुमार	7800
2	95/08.08.2022	श्री मनोज कुमार	5200
3	164/26.12.2022	श्री मनोज कुमार	7900
4	230/23.03.2023	श्री मनोज कुमार	7900
5	06/12.04.2023	श्री मनोज कुमार	9400
6	78/31.08.2023	श्री मनोज कुमार	3500
7	175/29.02.2024	श्री मनोज कुमार	15050
8	87/22.07.2022	श्री अरविन्द शर्मा	39375
9	174/26.11.2022	श्री अरविन्द शर्मा	5700
10	210/21.02.2023	श्री अरविन्द शर्मा	6800
11	100/27.09.2023	श्री अरविन्द शर्मा	5200
12	190/18.03.2024	श्री अरविन्द शर्मा	4025
कुल योग			**₹117850/-**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269 दिनांक 31-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व मण्डी समिति को सुझाव दिया जाता है कि प्राइवेट काउंसिल की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबंधक निदेशक बोर्ड के दिशा-निर्देशों अनुसार की जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

24. समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु 15% एजेंसी छूट न प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप राशि ₹0.11 लाख की वित्तीय हानि :-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनाँक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं DAVP सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु योग्य है | अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा जो विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरों पर किया गया उन पर 15% की छूट प्राप्त नहीं की गई है, जिस कारण मण्डी समिति द्वारा विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से न करने के कारण **₹11357.00** का अधिक भुगतान किया गया है | जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या संख्या /दिनांक	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन की तिथि	भुगतान without (GST)	15% की दर से कटौती (₹)
1	23/D/000273 06.04.2023	दिव्या हिमाचल	06.04.2023	15304	2296
2	शून्य 06.04.2023	अमर उजाला	06.04.2023	14441	2166
3	37 02.05.2023	गिरिराज	12.04.2023	4025	604
4	107 18.08.2022	दिव्या हिमाचल	01.06.2022	4188	628
5	107 18.08.2022	अमर उजाला	01.06.2022	6204	931
6	203 27.01.2023	हिमाचल दस्तक	05.10.2022	2857	429
7	59 21.09.2023	दिव्या हिमाचल	26.07.2023	14757	2214
		अमर उजाला	26.07.2023	13925	2089
कुल योग					**₹11357/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 267 दिनांक 31-01-2025 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव, मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया ,परन्तु अंकेक्षण की

समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से तथ्यों सहित अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में उक्त निर्देशों की अनुपालना की जाए।

25. बिजली बिलों के भुगतान में मांग की गई गत बकाया राशि (Previous Arrears) ₹0.46 लाख के सन्दर्भ में :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा गत बकाया राशि (Previous Arrears) की माँग के साथ किया गया है, जिसे बिना किसी जाँच पड़ताल के भुगतान किया गया है, जबकि समिति द्वारा नियमानुसार प्रतिमाह बिजली के बिलों का भुगतान किया जा रहा है। बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से है -:

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	मीटर संख्या	कुल भुगतान	मांग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	227/07.03.2023	200007021816	26170	18226
		100002241189	58550	2905
2	238/22.03.2023	100008000931	3839	618
3	21/25.05.2023	100002118719	2664	1729
		100002118720	1672	1093
		100002129446	1683	1046
		100002129447	11494	5286
		100008000931	10138	6001
		100002118718	2239	1434
		100002241930	3656	2637
		100002073643	2062	1440
		100002023625	3200	1761
4	187/16.03.2024	200002067556	1597	1191
		100002241930	886	675
कुल योग				**₹46042/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 265 दिनांक 31-01-2025 के माध्यम से सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: इस बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा साथ ही परामर्श दिया जाता है कि यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड से उठाने उपरांत वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

26. टेलीफोन बिल की बकाया राशि ₹2393 के भुगतान के सन्दर्भ में :-

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या 227 दिनांक 07.03.2023 व वाउचर संख्या 21 दिनांक 25.05.2023 की जाँच में पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान निम्न विवरण अनुसार गत बकाया राशि **(Previous Arrears)** की माँग के साथ किया गया है, जिसे बिना किसी जाँच पड़ताल के भुगतान किया गया है जबकि समिति द्वारा नियमानुसार प्रतिमाह टेलीफोन बिलों का भुगतान किया जा रहा है | अत: बकाया राशि की मांग करने का कोई औचित्य नहीं रहता |

क्रम संख्यां	बिल संख्या संख्या/दिनांक	अवधि	कुल भुगतान	मांग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	2202826490/ 05.02.2023	01.01.2023 से 31.01.2023	2480	1653
2	2303049326/ 06.04.2023	01.03.2023 से 31.03.2023	2169	740
कुल योग				**₹2393/-**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 266 दिनांक 31-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था ,परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अत: इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही यह मामला सम्बन्धित विभाग से उठाने उपरांत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27. सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹51.29 लाख के कार्यो का निष्पादन करना :-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख में पाया गया कि कृषि उपज समिति द्वारा निम्न वर्णित कार्यों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया है, जबकि नियमानुसार कार्यों के निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी (प्रबंधक निदेशक बोर्ड) की स्वीकृति ली जानी अपेक्षित थी | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	04/06.04.2022	Drilling of Hand pump at Grain Market Riyali	498703
2	05/06.04.2022	Laying of G.I Pipe at Sabji mandi fathepur	495930
3	08/07.04.2022	Purchase of Multi Grain cleaner	960000
4	09/08.04.2022	Providing three Phase LT in Grain market riyali	484334
5	10/12.04.2022	Purchase of Multi Grain cleaner	576000
6	14/22.04.2022	Providing LT line Market Yard fathepur	486000
7	15/22.04.2022	Providing Permanent 11/0.4 KV station fathepur	524495
8	18/25.04.2022	63 KVA along with HT LT line Riyali	1103793
कुल योग			**5129255/-**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272 दिनांक 31-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

28. औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना राशि ₹1.05 लाख का स्टोर/स्टॉक का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार, प्रत्येक सामग्री की खरीद पर जिसका मूल्य ₹3000 से अधिक है, हेतु निविदाएँ आमंत्रित करना अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा उक्त नियम की अवेहलना करते हुए औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना राशि **₹100555/-का** स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	भुगतान की गई राशि(₹)
1	17/22.04.2022	मै. हिमालया इंटरप्राइजेज घुरकड़ी काँगड़ा	बजन मापने का मशीन	58500

2	119/12.09.2022	मै. प्राइम कंप्यूटर	सॉफ्टवेयर का क्रय	42055
कुल योग				**₹100555/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271 दिनांक 31-01-2025 द्वारा उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, मण्डी समिति से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम की अनुपालना करना सुनश्चित किया जाए|

29. किसान विश्राम गृह, ज्वालाजी, जसूर, जयसिंहपुर के कार्यन्वयन बारे :-

अंकेक्षण दौरान अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा जसूर , जयसिंहपुर में किसान विश्राम ग्रह का निर्माण किया गया है तथा इन विश्राम गृह हेतु कुल **₹1319382/-** के सामान की खरीद की गई है ,परन्तु समिति द्वारा किसान विश्राम गृह का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे लाखों रूपए की लागत से ख़रीदे गए सामान का सदुपयोग नहीं हो रहा है तथा क्रय किया सामान संस्थान पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम संख्या	विश्राम गृह का नाम	बिल संख्या / दिनांक	राशि (₹)
1	जसूर	36522/27.10.2023	756380
2	जसूर	36524/02.11.2023	371582
3	जयसिंहपुर	587/06.05.2022	167678
4	जयसिंहपुर	02/17.05.2022	23742
कुल योग			**₹1319382/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 261 दिनांक 27-01-2025 जारी कर सचिव, मण्डी समिति से इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामगृहों को कार्यन्वयन हेतु शीघ्र उचित पग उठाये जाएँ ताकि कृषि उपज मण्डी समिति, काँगड़ा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके|

30. मार्किट फीस के निर्धारण (अस्सेस्मेंट) करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन विधयेक 2005 की धारा 61 के अनुसार सचिव मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की मार्किट फीस की असैसमेन्ट की जानी आवयश्क है | अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या: 242 दिनांक 18-01-2025 के अंतर्गत सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा से वर्ष 2022-23 व 2023-24 के अस्सेसमेंट से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या APMC-KGR-C(12)-1/2025-1529 के अंतर्गत अवगत करवाया गया कि इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2023-2024 के दौरान 15 पंजीकृत कारोबारियो को माह 09/2024 को असेसमेंट के नोटिस जारी किये गए थे, जिसमे आगे की कार्रवाई वित वर्ष 2024-2025 के दौरान की गई है | अत: परामर्श दिया जाता है प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी की असैसमेन्ट सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल उपरान्त करके यदि मार्किट फीस कोई लंबित/बकाया पाई जाती है, तो उसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

31. नीलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने वारे

कृषि ऊपज समिति काँगड़ा व उसके अंतर्गत अन्य उप मण्डियों से सम्बन्धित नीलामी रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गए | अंकेक्षण की समाप्ति से पहले वांछित अभिलेख शीघ्र प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260 दिनांक 27-01-2025 द्वारा सचिव मण्डी समिति से आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

अत: वांछित अभिलेख अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित की जाए | ताकि तदानुसार इनकी जाँच की जा सके |

32 कथा से सम्बन्धित लाईसेंस व प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा जारी किये गए परमिट प्रस्तुत न करने बारे :-

कृषि ऊपज समिति काँगड़ा व उसके अंतर्गत अन्य उप मण्डियों द्वारा कथा से सम्बन्धित जारी किये गए लाईसेंस व प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा जारी किये गए परमिट अवधि 4/2022 से 03/2024 तक प्रस्तुत नही किये गए जिससे कथा से कितनी मण्डी शुल्क की वसूली की गई, सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। अंकेक्षण की समाप्ति से पहले वांछित अभिलेख शीघ्र प्रस्तुत करने वारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260 दिनांक 27-01-2024 द्वारा सचिव मण्डी समिति को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नही दिया गया। अत: लाईसेंस

व प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा जारी किये गए परमिट प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

33 लॉग बुक

कृषि ऊपज समिति काँगड़ा की अवधि 4/2022 से 03/2024 के दौरान गाड़ी न० **HP40E 7015** की लॉग बुक की पड़ताल करने पर निम्न अनियमितता पाई गई जिनका उचित समाधान करके लेखा परीक्षा को शीघ्र अवगत करवाया जाए ।

(i) अंकेक्षण दौरान पाया गया कि लॉग बुक अनुसार माह अगस्त 2022 में कुल 225 लीटर इंधन भराया गया, दर्शाया गया था परन्तु वास्तव में गणना करने पर इंधन की यह मात्रा 223 लीटर पाई गई इस प्रकार लॉग बुक में इंधन की मात्रा 2 लीटर अधिक दर्शाई गई है जिसकी कीमत (2 लीटर@ 88/lt तेल का मूल्य लोंग बुक अनुसार) ₹176 बनती है | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) इसके अतिरिक्त लॉग बुक की पड़ताल में पाया गया कि गाड़ी की औसतन प्रत्येक माह 11.5 किलोमीटर दर्शाई गई है परन्तु गाड़ी की औसत का निर्धारण किसी तकनीकी अधिकारी से नहीं करवाया गया है जिसे किया जाना अपेक्षित था |

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270 दिनांक 31-01-2025 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्तिउत्तर नहीं दिया गया । अत: बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

34. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त फ़ीस को सरकारी कोष में जमा न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(3) के अनुसार *"Fee charges shall be deposited in a Govt. treasury under the head of account 0070-OAS/60-OS,800-OR,11-Receipt head under Right to information act 2005"* परन्तु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 258 दिनांक 27.01.2025 के प्रतिउत्तर में मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या APMC-KGR-C(12)-1/2025-1478 दिनांक 07.02.2025 के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति द्वारा RTI के रूप में राशि **₹340/-** की प्राप्ति की गई थी जिसे सरकारी कोष में जमा न करके मण्डी समिति के बैंक खाते में जमा किया गया था जो कि उक्त नियम का उल्लंघन है अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष में RTI से सम्बन्धित प्राप्तियों को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनश्चित किया जाए |

35. **लघु आपति विवरणिका:-** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

36. **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

2523-2526 01 MAY 2025
का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 76/84–खण्ड–11 दिनांकः शिमला–09
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 प्रधान सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला–171002
3 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 4. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमांचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें व तदानुसार इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

का0/प्रति0

कृषि उपज मण्डी समिति ,काँगड़ा जिला काँगड़ा

पैरा "क"

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

कृषि उपज मण्डी समिति, काँगड़ा के अवधि 4/85 से 3/17 तक के 21 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 92 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे हेतु वर्तमान सचिव द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । शेष 79 लम्बित पैरों में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में लाखों रुपयों की वसूलियां न करना, ठेकेदारों को किए गए अनियमित भुगतानों, दुकानों के किराये व विशेषकर दुकानों का आवंटन न करना, व्यापारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने व वास्तविक आबंटक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने जैसे अतिगम्भीर मामलों व अन्य मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली करना शामिल है। अत: अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के बावजूद ऐसी गम्भीर अनियमितताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाई न करना बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तीय हानि उठानी पड सकती है क्यूंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अत: वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाई करनी अति आवयश्क है जिसके लिए तुरन्त कार्यवाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय-2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे अंकेक्षण पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे का विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा-9(XI)	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जैसे माप पुस्तिका,प्राकलन कम्पलीशन रिपोर्ट आदि को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-9(XII)	निर्माण कार्यों पर स्टील,सीमेंट,इंटों व रेत,बजरी की खपत बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/90

1.	पैरा-5(36)	गाड़ीसंख्या.एच०पी०एम० 5152 द्वारा 11-2-1989 से 11-04-89 तक की गई निजि यात्रा (159 कि.मी.) के प्रभार की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-5(37)	निर्माण कार्यों के लिए किए गए भुगतानों से सम्बन्धित रिकॉर्ड को जाँच हेतु प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91

1.	पैरा-6(16)	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किए गए ₹83803/- के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकॉर्ड को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रसुत न करना	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92

1.	पैरा-14	ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किए गए अधिक भुगतान की राशि ₹122397.00 की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/96

1.	पैरा-5(V)	31 मामलों में मण्डी शुल्क की वसूली न करना॥	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-6(8)ग	न्यायालय के आदेशों के बावजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी शुल्क न वसूलना	अनिर्णीत	
3.	पैरा-6(XXV)ख	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिए समय बढोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-6(XXVI)ख	सब्जी मण्डी के लिए बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिए समय में बढोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-6(XXVIII)	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी.सिंह ठाकुर को कार्य आबंटित/अवार्ड करने के मामले में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/99

1.	पैरा-11	₹239050/- के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकॉर्ड एवं इन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण में जाँच न करवाना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 03/99 से 03/2000

1.	पैरा-12(क)1 से 5	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-15(1 व 2)	₹147057/- के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। वांछित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1.	पैरा-10	₹220190/- के निर्माण कार्यो की AE &ES (प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति बारे)	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1.	पैरा-10	अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1.	पैरा-4	मण्डी शुल्क के रूप में ₹386828/- की कम वसूली करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -10	₹6804/- के भुगतान की स्वीकृति एवं एम०बी० व एम०ए०एस० में प्रविष्टियों बारे।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-11	₹13975/- के भुगतान की स्वीकृति एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-14	₹522472/- के निर्माण कार्यो के कम्पलीशन सर्टिफिकेट व कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात	अनिर्णीत	

		निर्मित भवन को Handover करने बारे।		

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1.	पैरा-13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -14	मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-15 (ग)	मण्डी शुल्क की वसूली बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1.	पैरा-5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के आयात पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹9926/- की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -7	मै० जितेन्द्र कुमार अजय कुमार शाहपुर से ₹6650/- की वसूली कर ली है लेकिन मै० पवन काजल ठेकेदार से ₹37258/- की वसूली शेष है जिसे तुरन्त करने के लिए आवयश्क पग उठाए जाए।	आंशिक अनिर्णीत	
3.	पैरा-12	पुराने लाइसेंसों की नवीकरण में नियमों की अवहेलना बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा -13	कुल 47 व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के फलस्वरूप वर्ष 2006-07 के दौरान मण्डी शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-14(क)	मै० पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत	
6.	पैरा-14(घ)	लाइसेंस के रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत	
7.	पैरा-14 (ड.)	किरायेदार व लाइसेंस के हस्ताक्षर बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1.	पैरा-11(क)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹116344/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -11(ख)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹73578 /- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	------------
3.	पैरा-12	मण्डी शुल्क के रूप में ₹45539/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	----------
4.	पैरा-18	मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/- न वसूलने बारे।	अनिर्णीत	--------
5.	पैरा -20	व्यापारियों का नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण न करने बारे।	अनिर्णीत	
6.	पैरा -21 (ख,घ व च)	रिकॉर्ड का ऑडिट में न प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1.	पैरा-16	मण्डी शुल्क के रूप में `68894/- की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -22 (ख)	ऑडिट में रिकॉर्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत	------------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1.	पैरा-15	आलू के व्यापरियों से ₹158247/- का कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -18	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क की ₹529030/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	------------ -
3.	पैरा-21	मै० निखिल ट्रेड्स,दूध विक्रेता पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क के ₹55612/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	----------

4.	पैरा-22	मैसर्ज आदर्श मिल्क,दूध विक्रेता काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क ₹79832/- वसूलने बारे।	अनिर्णीत	--------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1.	पैरा-9	दुकान आबंटन व किराया एग्रीमैंट से सम्बन्धित रिकॉर्ड न उपलब्ध करवाने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -14	निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	-------------
3.	पैरा- 17	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से कम्पाउन्ड शुल्क के रूप में ₹32400/ - की वसूली न करने बारे।	अनिर्णीत	----------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1.	पैरा-20 (क,ख)	ऑडिट में रिकॉर्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1 .	पैरा -8	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम वसूली न करना।	आंशिक निर्णित	
2 .	पैरा-12	मैसर्ज सोनम फ्रूट कम्पनी काँगड़ा के प्रोपराईटर/आबंटक को बदलने बारे।	अनिर्णीत	
3.	पैरा -13	मण्डी समिति काँगड़ा की दुकान न० 07 के वास्तविक आबंटक बदलने बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा- 14	वास्तविक आबंटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1.	पैरा-5(ख)	बैंक द्वारा सावधि जमा पर कम ब्याज देना।	अनिर्णीत	
2.	पैरा-6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹781190/-के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना।	अंशत:निर्णीत	
3.	पैरा -9	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹109700/-की कम वसूली न करना।	अंशत:निर्णीत	

4.	पैरा -10	मैसर्ज पप्पू चिकन कार्नर काँगड़ा से कम्पाउन्ड शुल्क की ₹7410/- न वसूलने बारे।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-11	मार्किट फीस के निर्धारण(असैसमेंट)करने बारे।	अनिर्णीत	
6.	पैरा-14	चैक पोस्टों की तिथि वार आयात-निर्यात विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1.	पैरा-6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹3522902/-के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना।	अंशत:निर्णीत	
2	पैरा-11	विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में ₹27865/-की वसूली कम करना।	अनिर्णीत	
3	पैरा -12	पंजीकृत कत्था व्यापारियों से बिना परमिट के मण्डी शुल्क वसूलना।	अनिर्णित	
4	पैरा -13	किसान विश्राम गृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे।	अनिर्णित	
5	पैरा-14	मार्किट फीस के निर्धारण(असैसमेंट) करने बारे।	अनिर्णीत	
6	पैरा-16	चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित सामान का मूल्य न दर्शाना।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2017

1	पैरा -5 (क)	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹76427 कम ब्याज क्रेडिट करने बारे।	अनिर्णीत	
2	पैरा-6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹224.55 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना।	अशत:निर्णीत	

3	पैरा-9	मै० शिव शक्ति फ्रूट कम्पनी दुकान न० 10 से 3.68 लाख किराये की वसूली न करना।	अनिर्णीत	
4	पैरा-11	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के प्लेटफार्म के ऊपर निर्मित छः दुकानों पर दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्य करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को किराये के रूप में हानि बारे।	अनिर्णीत	
5	पैरा -14	विभिन्न व्यापरियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर न वसूलने व अत्यंत विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में हानि	अनिर्णीत	
6	पैरा -15	सब्जी मण्डी पालमपुर के तुलनात्मक सब्जी मण्डी जसूर व काँगड़ा द्वारा कम आय अर्जित करने बारे।	अनिर्णीत	
7	पैरा-16	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के निलामी रजिस्टर में नीलामी प्रक्रिया न दर्ज करने बारे।	अनिर्णीत	
8	पैरा-17	सब्जी व फल के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित नगों की तुलनात्मक कम नगों पर मण्डी शुल्क वसूल करने बारे।	अनिर्णीत	
9	पैरा -18	पंजीकृत कत्था व्यापरियों से बिना वन विभाग परमिट के मार्किट फीस वसूलने बारे।	अंशत: निर्णित	
10	पैरा-19	चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित सामान का मूल्य न दर्शाने के फलस्वरूप वित्तीय हानि।	अनिर्णीत	
11	पैरा-20 (क से ग)	निर्माण कार्य	अनिर्णीत	
12	पैरा-21(क, ख)	निर्माण कार्य	अनिर्णीत	
13	पैरा-25 (क से घ)	अनुचित रूप से कम्प्यूटर की खरीद बारे।	अनिर्णीत	
14	पैरा -26	दी होशियारपुर जिला सहकारी दूध उत्पादन यूनियन से ₹518/- कम मण्डी शुल्क वसूलने	अनिर्णीत	

		बारे		
15	पैरा -27	किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे।	अनिर्णीत	
16	पैरा -28	मार्किट फीस के निर्धारण(असैसमेंट)करने बारे।	अनिर्णीत	
17	पैरा -29	अंकेक्षण के दौरान गम्भीर आपत्तियों पर चर्चा बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2020

1	पैरा-4	वित्तीय स्थिति	अनिर्णीत	
2	पैरा-5	निवेश	अनिर्णीत	
3	पैरा-6	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत	
4	पैरा-9	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के प्लेट फार्म के ऊपरनिर्मित छ:दुकानों पर अनाधिकृत कार्य करने पर हानि	अनिर्णीत	
5	पैरा-10	उप मण्डी यार्ड धर्मशाला में निर्मित दुकानों /बूथों को आबंटन में अनियमितता वारे	अनिर्णीत	
6	पैर-11	उप मण्डी यार्ड जसूर में निर्मित दुकानों /बूथों को आबंटन में अनियमितता वारे	अनिर्णीत	
7	पैरा-14	मै० कृष्णा डेयरी देहन तहसील भवारना से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
8	पैरा-15	मै० फ्रेंड्स डेयरी पालमपुर से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
9	पैरा-16(क)	मै० राष्ट्रीय डेयरी पालमपुर से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
10	पैरा-17	मै० एस ०एच० एग्रो फूड इन्क्लूसिव	अनिर्णीत	

		चंडीगढ़ से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे		
11	पैरा-23	मै०गौरव पोल्ट्री फार्म पालमपुर से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
12	पैरा-25	मै०सुगुनाफूड प्राइवेट लिमिटेड लालडू से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
13	पैरा-26	मै०आनन्द एच आर मैनेजमेंट घुरकड़ी से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
14	पैरा-27	मै०हुसैन एंड कम्पनी बैजनाथ से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
15	पैरा-28	मै०सरताज फार्म फ्रेश धर्मशाला से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
16	पैरा-31	मै०सुदर्शन कुमार एंड बर्द्रजजसूर से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
17	पैरा-32	मै०रवि एग्रो भोल ज्वाली से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
18	पैरा-33	मै०राजीव ट्रेडर्स जसूर से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
19	पैरा-34	मै०शीतला इंटरप्राइजेजज्वाली से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
20	पैरा-35	मै०चौहान टिम्बर भोल ज्वाली से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
21	पैरा-36	विभिन व्यापारियों से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
22	पैरा-37	मै० प्रिया कथा उद्योग चिन्पुरनी से मार्केट फीस वसूलने वारे	अनिर्णीत	
23	पैरा-38	चैक पोस्टों पर आयतित समान का मूल्य न दर्शाने वारे	अनिर्णीत	

24	पैरा-39	काँगड़ा जोन के व्यापारियों से मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
25	पैरा-41	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान	अनिर्णीत	
26	पैरा-42	आय कर विभाग के नाम असमयोजित राशि का न दर्शाया जाना	अनिर्णीत	
27	पैरा-43	किसान विश्राम गृह के कार्यन्वयन वारे	अनिर्णीत	
28	पैरा-44	मार्केट फीस का निर्धारण न करने वारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

1	पैरा- 3	अंकेक्षण शुल्क	निर्णित	अंकेक्षण शुल्क की पुष्टि उपरांत
2	पैरा- 4,	वित्तीय स्थिति	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित
3	पैरा- 4.1	बैंक समाधान विवरण	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित
4	पैरा-5	निवेश	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित
5	पैरा-6	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित
6	पैरा-7	दुकानों के लम्बित किराये की वसूली न करना।	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के

				साथ पुनः प्रारूपित
7	पैरा-8	मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित कमरों के किराये की वसूली न करना।	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित
8	पैरा-9	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के अंतर्गत पुरानी केले की भट्टियों को किराये पर आबंटित करने पर पाई गई अनियमितता	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के अंतर्गत रजिस्टर्ड टिम्बरों/फर्मो से कम मण्डी शुल्क प्राप्त करना	आंशिक निर्णीत	क्रम संख्या 1व 2 के संदर्भ में राशि ₹2637/- व ₹25807/- की वसूली रसीद संख्या 129769 दिनांक 08.08.2023 व रसीद संख्या 129767 दिनांक 07.08.2023 के अंतर्गत कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

10	पैर-11	मण्डी शुल्क की वसूली न करना	आंशिक निर्णीत	उप मण्डी जसूर जोन के अंतर्गत क्रम संख्या 1 में कम वसूल दर्शाई गई राशि ₹21940/- की वसूली रसीद संख्या 146149 दिनांक 30.03.2021 द्वारा राशि ₹15584 तथा रसीद संख्या 138802 दिनांक 28.03.2021 द्वारा राशि ₹18315 वसूल कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।
11	पैरा- 12	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा द्वारा बिल संख्या VT-138 दिनांक 07.10.2020 के अंतर्गत अनियमित भुगतान करने बारे	अनिर्णीत	
	पैरा-13	प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा उप मण्डी बैजनाथ , पालमपुर की अवधि 04/21 से 03/22 का मण्डी शुल्क	आंशिक अनिर्णीत	अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार पैरा 13(क) के क्रम संख्या 1

		वसूल न करने बारे		,2 व 5 से 9 के सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की प्राप्ति उपरांत पैरा आंशिक रूप से निर्णित
12	पैरा-14	अनाज मण्डी डमटाल के व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना	अनिर्णीत	
13 14	पैरा-15	मार्किट फ़ीस का निर्धारण (Assesment) न करना	अनिर्णीत	
15	पैरा-16	नीलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णीत	
16	पैरा-17	कथा से सम्बन्धित लाइसेंस व सक्षम वन अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट प्रस्तुत न करना	अनिर्णीत	
17	पैरा-18	लॉग बुक की जाँच में पाई गई अनियमितता बारे	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णीत पैरे	**109**
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	32
कुल पैरे	**141**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	07
अन्त शेष (दिनांक 31-3-24 तक)	**134**

परिशिष्ट 'ख-1'

पैरा संख्या 5 (वित्तीय स्थिति) से संबंधित

Income & Expenditure Statement of APMC Kangra for the period of 2022-23								
Month	Opening Balance	Income	Grant in Aid	Interest	Total	Expenditure	Deposit Work	Closing Balance
Apr-22	257665976.77	2559571.82	0	1348609.97	261574158.56	3580016.08	3826940	254167202.48
May-22	254167202.48	2809769.66	0	375040	257352012.14	2014847.73	211130	255126034.41
Jun-22	255126034.41	2423311	0	1879358.7	259428704.11	1561789.37	446180	257420734.74
Jul-22	257420734.74	5547439.72	9000000	1543804	273511978.46	2204636.16	0	271307342.30
Aug-22	271307342.30	2688055.7	0	0	273995398.00	1833454.91	0	272161943.09
Sep-22	272161943.09	2944981	0	466304	275573228.09	5163183.37	3564704	266845340.72
Oct-22	266845340.72	2711273.44	0	826717.31	270383331.47	1819959.19	250000	268313372.28
Nov-22	268313372.28	3246980.51	0	1461274.99	273021627.78	1668579.25	0	271353048.53
Dec-22	271353048.53	7330274.9	0	188951	278872274.43	2443303.74	1985000	274443970.69
Jan-23	274443970.69	2884653.2	0	1970647.95	279299271.84	2098479.91	0	277200791.93
Feb-23	277200791.93	3348091	0	2476752	283025634.93	1722396.91	1064734	280238504.02
Mar-23	280238504.02	10223409.87	6000000	645870	297107783.89	8558450.33	0	288549333.56
Total		48717811.82	15000000.00	13183329.92		34669096.95	11348688.00	

Income & Expenditure Statement of APMC Kangra for the period of 2023-24								
Month	Opening Balance	Income	Grant in Aid	Interest	Total	Expenditure	Deposit Work	Closing Balance
Apr-23	288549333.56	3531002.3	0	274402.7	292354738.56	2115881.38	0	290238857.18
May-23	290238857.18	2946755.93	0	2384447.7	295570060.81	3105161.52	0	292464899.29
Jun-23	292464899.29	3798188.35	0	1902972.03	298166059.67	1925094.51	797477	295443488.16
Jul-23	295443488.16	3490897.24	0	2028383	300962768.40	1427956.91	4122913	295411898.49
Aug-23	295411898.49	3600633.52	0	0	299012532.01	1846383.92	0	297166148.09
Sep-23	297166148.09	5077365.74	0	269940	302513453.83	4133605.1	2789017	295590831.73
Oct-23	295590831.73	3764293.93	0	961483.06	300316608.72	1567944.91	3370620	295378043.81
Nov-23	295378043.81	3832759.25	0	2107613	301318416.06	1626282.65	0	299692133.41
Dec-23	299692133.41	3228398.6	0	265724	303186256.01	3847105.62	0	299339150.39
Jan-24	299339150.39	6050859.25	0	359008	305749017.64	1576411.25	358090	303814516.39
Feb-24	303814516.39	5941205.99	0	3374703	313130425.38	6345485.52	0	306784939.86
Mar-24	306784939.86	13019323.03	0	1286413	321090675.89	9055989.15	176251	311858435.74
Total		58281683.13	0	15215089.49		38573302.44	11614368	

Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

परिशिष्ट "ख-2"

पैरा संख्या 5 (वित्तीय स्थिति) में संदर्भित

The Detail of Bank Balances as on 31.03.2024 in respect of APMC Kangra Distt. Kangra H.P			
Sr. No.	**Bank Name**	**Bank Account No.**	**Balance as on 31.03.2024**
1	UBI Kangra	391902010005999	3564344.35
2	HGB Varanda (Jassur)	87810100034055	12759448.54
3	UCO Bank Kangra	10230110013588	948067.75
4	ICICI Bank Palampur	93601000530	7327020.97
5	IDBI Bank Kangra	59104000015084	16627
6	ICICI Jassur	374401000112	5987109.58
7	HDFC Kangra	50100174100894	2564892.91
8	IndusInd Bank Kangra	100099811540	125685.84
9	HGB Kangra	88070100000077	20611.63
10	Axis Bank Palampur	921010036393885	39877.83
11	ICICI Bank Kangra	140601000934	3489732
12	Yes Bank Kangra	31594600000692	76675.62
13	Bank of Broda Kangra	54160100002795	12616290.53
14	**Cash in Hand as on 31.03.2024**		3249169
15	FDR'S Amount		266693916.35
	Total		**319479469.90**

Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

J.A

64

परिशिष्ट "ख-3"

पैरा संख्या 5.1 में संदर्भित (बैंक समाधान विवरणी)

Bank Reconciliation statement as on 31.03.2024 of APMC Kangra				
Balance as per Cash Book as on 31.03.2024				311858435.74
Add:-	Income received in bank but not enetered in Cash book			
Date	Bank Name	Account No.	Amount	
04.09.2019	UBI Kangra	391902010005999	8304	
20.03.2020	HDFC Kangra	50100174100894	3010	
02.06.2020	ICICI Palampur	93601000530	11496	
22.12.2020	UBI Kangra	391902010005999	58975	
17.06.2021	UBI Kangra	391902010005999	41028	
10.08.2021	UBI Kangra	391902010005999	16865	
04.02.2022	UBI Kangra	391902010005999	500	
25.02.2022	UBI Kangra	391902010005999	12594	
08.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	2180	
14.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	3516	
14.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	17583	
30.03.2022	UBI Kangra	391902010005999	13422	
29.04.2022	UBI Kangra	391902010005999	4996	
30.05.2022	UBI Kangra	391902010005999	2585	
07.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	2254	
07.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	2863	
07.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	1920	
21.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	2622	
04.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	30000	
25.07.2022	UBI Kangra	391902010005999	10776	
02.08.2022	UBI Kangra	391902010005999	4520	
06.09.2022	UBI Kangra	391902010005999	3286	
30.09.2022	UBI Kangra	391902010005999	2906	
06.09.2022	ICICI Palampur	93601000530	2872	
04.12.2022	UBI Kangra	391902010005999	3237	
16.12.2022	UBI Kangra	391902010005999	2564	
17.01.2023	UBI Kangra	391902010005999	2447	

A Kumar
Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

65

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

15.02.2023	UBI Kangra	391902010005999	2589	
13.03.2023	UBI Kangra	391902010005999	2499	
29.03.2023	UBI Kangra	391902010005999	6139	
31.03.2023	Yes Bank Kangra	31594600000692	80058	
19.10.2022	UBI Kangra	391902010005999	3002	
06.04.2023	UBI Kangra	391902010005999	43566	
27.04.2023	UBI Kangra	391902010005999	2869	
12.05.2023	ICICI bank Jassur	374401000112	8000	
16.06.2023	HDFC Bank Kangra	50100174100894	402876	
01.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	3307	
20.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	3287	
08.06.2023	UBI Kangra	391902010005999	23208	
15.07.2023	UBI Kangra	391902010005999	3853	
01.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
21.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	449550	
17.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	10848	
31.08.2023	UBI Kangra	391902010005999	4286	
22.09.2023	UBI Kangra	391902010005999	3333	
05.09.2023	HGB Kangra	88070100000077	8840	
01.09.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
03.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
13.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	274095	
19.10.2023	UBI Kangra	391902010005999	4043	
01.11.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
15.11.2023	UBI Kangra	391902010005999	10776	
01.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	106	
06.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	4812	
29.12.2023	UBI Kangra	391902010005999	4217	
01.01.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	
23.01.2024	UBI Kangra	391902010005999	3951	
01.02.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	

A Kumar
Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

28.02.2024	UBI Kangra	391902010005999	39756	
01.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	106	
18.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	3215	
20.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	6300	
20.03.2024	Bank of Baroda, Kangra	54160100002785	7820.16	
18.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	3757	
29.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	1662	
30.03.2024	ICICI Bank Palampur	93601000530	35625	
16.03.2024	UBI Kangra	391902010005999	113772	
Total			**1846080.16**	**1846080.16**
Add:-	**Cheque issued but not debited by bank till 31.03.2024**			
Date	**Cheque No.**	Bank Name	**Amount**	
30.03.2024	,00003	Bank of Barodha Kangra	46782	
30.03.2024	**,00004**	Bank of Barodha Kangra	75059	
30.03.2024	**,00005**	Bank of Barodha Kangra	74250	
30.03.2024	**829931**	HGB Jassur	6524882	
20.02.2024	Letter No. KMC-Vr-02/2024-989 Dated 20.02.2024	HDFC Kangra	10280	
Total			**6731253**	**6731253**
Total				**320435768.90**
Less:-	Swipe machine Chargess debited by ICICI bank Palampur on dated 29.01.2022 but not eneterd in Cash Book till dated 31.03.2024			70800
Less:-	Cheque deposited but not credited by bank till 31.03.2024			
Date	Bank Name	Cheque No.	Amount	
30.03.2024	PNB Bank	560911	1730	
30.03.2024	PNB Bank	452588	10780	
13.03.2024	PNB Bank	680811	2865	

Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

30.03.2024	SBI Bank	11269	16452	
30.03.2024	PNB Bank	944810	21242	
30.03.2024	PNB Bank	208223	8565	
30.03.2024	PNB Bank	752194	23702	
30.03.2024	Canra Bank	244254	16387	
30.03.2024	Canra Bank	244256	134626	
Mar-24	Punjab & Sindh Bank	,000226	13414	
Mar-24	Canra Bank	273501	18900	
Mar-24	PNB Bank	832233	12543	
Mar-24	HDFC Bank	,000653	20000	
Mar-24	UCO Bank	,000136	38625	
Mar-24	Canra Bank	273503	5000	
26.03.2024	PNB Bank	210711	7921	
30.03.2024	PNB Bank	385102	6283	
30.03.2024	BOB Kanggra	,000312	79704	
30.03.2024	HDFC Bank	,00002	71140	
30.03.2024	PNB Bank	28798	60279	
30.03.2024	PNB Bank	392906	29750	
30.03.2024	SBI Bank	919526	17076	
30.03.2024	PNB Bank	163361	101091	
Jan-24	PNB Bank	912964	32590	
Feb-24	SBI Bank	515890	25268	
Feb-24	PNB Bank	208216	11917	
Jan-24	Canra Bank	244248	17630	
30.01.2024	Canra Bank	690116	41511	
15.06.2020	KCC Bank	832831	38508	
Total			**885499**	**885499.00**
Total Balance (A)				**319479469.90**
Balance as per Bank Pass book, FDR's & Cash in Hand (B)				**319479469.9**
Difference (A-B)				**0.00**

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

-68-

J.A

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

परिशिष्ट "ख-2"

"पैरा संख्या 5 (वित्तीय कि-यान) में संबंधित

Detail of FDR's in respect of APMC KANGRA as on 31.03.2024

Sr. No.	Date	Amount invested	Name of Bank	Period	Rate of interest	FDR No.	Date of Maturity
1	16.01.2023	2697442	ICICI Palampur	1 Y 03 M	7.00	093613004642	17.04.2024
2	20.01.2023	10147153	HDFC Kangra	15 M 01 D	7.00	50300741355926	21.04.2024
3	25.01.2023	8106373.51	HDFC Kangra	15 M 01 D	7.00	50300743467368	26.04.2024
4	31.01.2023	12617017	HDFC Kangra	15 M	7.00	50300746103404	30.04.2024
5	02.04.2023	3148341.84	IndusInd Bank	1 Year	7.50	300823428822	02.04.2024
6	10.05.2023	7832300	Yes Bank	1 Year	7.50	031540400022802/1	10.05.2024
7	15.05.2023	18067487	Axis Bank	1 Y 11 D	6.80	922040061645670	26.05.2024
8	25.05.2023	12990425	Yes Bank	1 Year	7.50	031540400022872/1	25.05.2024
9	26.06.2023	17350345	HGB Varanda	615 Days	7.30	3105947269	02.03.2025
10	23.06.2023	13002619	Yes Bank	1 Year	7.50	031540400023402/1	23.06.2024
11	11.07.2023	5046639	Axis Bank	1 Y 11 Days	6.80	922040067398732	22.07.2024
12	27.07.2023	17641474	HGB Kangra	444 Days	7.25	88073103140733	09.10.2024
13	31.08.2023	12800000	HDFC Kangra	1 Year	7.10	50300848912815	30.11.2024
14	18.10.2023	12905842	Bank of Baroda	399 Days	7.30	54160300002721	20.11.2024
15	05.11.2023	10794948	HGB Kangra	1 Year	6.80	88073103139530	05.11.2024
16	29.11.2023	21548498	ICICI Palampur	1 Year	7.05	093613005762	01.03.2025
17	22.01.2024	3543952	HDFC Kangra	12 Y 01 Day	6.60	50300588227895	23.01.2025
18	03.02.2024	13541013	IDBI Kangra	375 days	7.10	1159106000018993	12.02.2025
19	04.02.2024	13492961	IDBI Kangra	375 days	7.10	1159106000018984	13.02.2025
20	05.02.2024	13492961	IDBI Kangra	375 days	7.10	1159106000018975	14.02.2025
21	15.02.2024	12181117	HGB Kangra	1 Year	6.75	88073103139972	15.02.2025
22	10.03.2024	4681947	ICICI Palampur	18 Months	7.20	093613002905	10.06.2025
23	16.03.2024	9063061	HGB Kangra	1 Year	6.75	88073103140091	16.03.2025
24	21.03.2024	10000000	HDFC Kangra	1 Year	7.25	50300945231856	22.09.2025
	G. Total	**266693916.35**					

A Kumar
Accountant
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (H.P.)

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

J.A

-68-

परि. शिष्ट : "ग"

पैरा संख्या "7" में संदर्भित

Detail of Cash in Hand as on 31.03.2024 in respect of APMC Kangra H.P.

S. No.	Cash-in-Hand amount	Date of Deposit
01	1397	04.04.2024
02	50731	02.04.2024
03	18590	04.04.2024
04	45338	04.04.2024
05	30	20.04.2024
06	120247	06.04.2024
07	33666	08.04.2024
08	29170	06.04.2024
09	3120	02.04.2024
10	3675	02.04.2024
11	35000	10.04.2024
12	6300	10.04.2024
13	6384	10.04.2024
14	1150	22.08.2024
15	3620	06.04.2024
16	14325	10.04.2024
17	15490	10.04.2024
18	11000	10.04.2024
19	6893	05.04.2024
20	91523	05.04.2024
21	28907	06.04.2024
22	200	24.04.2024
23	40479	06.04.2024
24	97015	16.04.2024
25	146198	16.04.2024
26	62926	08.05.2024
27	58037	31.07.2024
28	24762	22.04.2024
29	303176	22.04.2024
30	35924	19.04.2024
31	717102	02.05.2024
32	22900	19.04.2024
33	10571	09.04.2024
34	6865	09.04.2024
35	20291	08.04.2024
36	7577	09.04.2024
37	109857	19.04.2024
38	6210	19.04.2024
39	102210	12.04.2024
40	8200	28.05.2024
41	20683	09.04.2024
42	989	09.04.2024
43	520	09.04.2024
44	2154	09.04.2024
45	102195	09.04.2024
46	14206	09.04.2024

J.A

70

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra Distt. Kangra (HP)

②

47	105837	09.04.2024
48	10508	09.04.2024
49	19898	09.04.2024
50	5230	09.04.2024
51	755	09.04.2024
52	17107	20.04.2022
53	16494	09.04.2024
54	16827	09.04.2024
55	12733	09.04.2024
56	5640	09.04.2024
57	2861	09.04.2024
58	1602	09.04.2024
59	4507	09.04.2024
60	14585	09.04.2024
61	2291	09.04.2024
62	9526	09.04.2024
63	5754	09.04.2024
64	1861	09.04.2024
65	5596	09.04.2024
66	24563	09.04.2024
67	14878	09.04.2024
68	29122	09.04.2024
69	4973	09.04.2024
70	12450	09.04.2024
71	7735	09.04.2024
72	4712	09.04.2024
73	7012	09.04.2024
74	11848	09.04.2024
75	55550	09.04.2024
76	7971	09.04.2024
77	14886	09.04.2024
78	28253	09.04.2024
79	1472	09.04.2024
80	8775	09.04.2024
81	6091	09.04.2024
82	58674	06.04.2024
83	155366	06.04.2024
84	2823	10.04.2024
85	8000	06.04.2024
86	3966	06.04.2024
87	10000	06.04.2024
88	3404	24.06.2024
89	23157	30.11.2024
90	36073	08.07.2024
G. Total	**3249169**	

Deputy Controller
H.P. State Audit Department

Secretary
Agril. Produce Market Committee
Kangra, Distt. Kangra (HP)

J.A

71